

SHRI P. WILSON: Sir, I introduce the Bill.

**The Constitution (Amendment) Bill, 2020 (substitution of new Article for Article 130)**

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI P. WILSON: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Abhishek Manu Singhvi. He is not present.

**3.00 P.M.**

**The Companies (Amendment) Bill, 2019**

**डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे** (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मान्यवर, इस विधेयक को आज सदन के सम्मुख लाते समय इसकी कुछ भूमिका है, जिसको मैं कम समय में स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि स्वाधीनता के 75वें वर्ष में हम "आज़ादी का अमृत-महोत्सव" मना रहे हैं। अगर हम एक कटाक्ष डालते हैं कि स्वाधीनता के बाद हमें किन चीज़ों में तीव्र गति से आगे बढ़ना जरूरी था, तो हमें कई चीज़ें पता चलती हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जो कदम उठाने की जरूरत थी, उनकी बात करूँ, तो इन बहुत सारे विषयों में एक दृष्टि से एक उपेक्षा का दृष्टिकोण रहा। हमने Lord Macaulay और उसके minutes की चर्चा कई बार इस सदन में भी की है और उसकी चर्चा बाहर भी होती रही है, मगर लगता है कि Macaulay की छाया से इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बाहर लाने का जो एक बहु-प्रतीक्षित कार्य था, वह केवल नई शिक्षा नीति के कारण होने की एक आशा निर्मित हुई है, क्योंकि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल-चूल परिवर्तन करती है। उसी तरीके से, अन्यान्य विषयों में भी बहुत जरूरी था कि हम परिवर्तन का रास्ता अपनाएँ। देश का जो स्वभाव है, देश की जो प्रकृति है, देश की जो मूल पहचान है, उस रास्ते पर हम जाएँ, मगर दुर्भाग्यवश यह नहीं हुआ। ऐसी कई सारी बातें, जो स्वाधीनता के पहले थीं, उनको हमने जस-का-तस रखा और हम आगे बढ़ते गए। लोग कहने लगे कि गोरा अंग्रेज़ तो चला गया है, मगर उसकी जगह काले अंग्रेज़ ने ले ली है। यह मात्र 10 साल की बात है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। 1957 तक लोगों के अंदर यह स्वर पनपने लगा कि अंग्रेज़ तो

चला गया, मगर अंग्रेजियत अभी भी बरकरार है। हमारी इस पवित्र संसद के अंदर भी हम देखते थे कि 1999 तक हमारे देश का बजट शाम को 5 बजे आता था। तब किसी के मन में यह नहीं आया कि शाम के 5 बजे क्यों? बजट एक महत्वपूर्ण विषय-वस्तु होती है और सारी महत्वपूर्ण बातें सदन प्रारंभ होते ही सदन के सम्मुख आती हैं, मगर बजट 5 बजे लाने की एक पद्धति डाली गई। उसका कारण यह था कि वह ब्रिटिश साहब की सुविधा के लिए था, क्योंकि वहाँ जब 11 बजेंगे, तब यहाँ लगभग 5 बजे का समय होगा। इस तरह, उनकी सुविधा के लिए स्वाधीनता के पहले से जो परम्परा चलती आई, उसको हमने बरकरार रखा, किसी के भी मन में यह नहीं आया कि उस परम्परा को बदलना चाहिए। यह तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को सत्ता के सूत्र हाथ में लेने पड़े, जबकि यह एक छोटा-सा मगर महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जो हमारे देश ने देखा है, इस सदन ने देखा है, इस सभागृह ने देखा है। इस तरीके से, जो पुरानी बातें थीं, पुरानी पद्धतियाँ थीं, पुरानी परम्पराएँ थीं, उनको उपनिवेशवाद की छाया से बाहर निकालकर इस देश के स्वभाव, इस देश की प्रकृति, इस देश के इतिहास, इस देश की विरासत के साथ जोड़ने का जो एक अधूरा कार्य था, मैं मानता हूँ कि वह कार्य करने के लिए ही एक दृष्टि से इस देश ने 2014 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR) *in the Chair.*

महोदय, सदन को शायद यह पता होगा कि जब 2014 में 16 मई को चुनाव के परिणाम आए थे, तो The Guardian ने अपने 18 मई के editorial में एक comment किया। The Guardian का comment यह बताता है कि Perhaps now the Britishers will have to finally leave India, क्योंकि ब्रिटिशों की जो एक प्रथा-पद्धति थी, उन्होंने यहाँ पर जो भी पद्धतियाँ निर्मित की थीं, उन्हीं के नक्शे-कदम पर हम चलते रहे, हमने अपने स्वभाव और इस देश की प्रकृति के अनुरूप कुछ करने के लिए कभी ठाना भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, जिसके चलते एक अनुशेष, एक बैकलॉग बना रहा। उस बैकलॉग को नष्ट करने का काम प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में होगा, इस तरीके की बात The Guardian जैसे समाचार-पत्र ने उस समय में रखी। उसके बाद, हम सब जानते हैं कि विगत सात-साढ़े सात सालों में क्या हुआ है। भारत को भारतीयता का एहसास दिलाते हुए, भारतीय प्रथा, पद्धतियाँ, विचार, हमारे सिद्धांत एवं हमारी सोच के आधार पर आगे बढ़ने की दिशा में हम विगत सात-साढ़े सात सालों में आगे बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में हमारे देश की विरासत का जो एक महत्वपूर्ण अंग बनता है कि इस देश के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनको हम monuments कहते हैं, उनकी स्थिति को और अधिक अच्छा करने के लिए जो आवश्यक संसाधन जुटाने की ज़रूरत है, उस संदर्भ में मैं कम्पनी कानून में परिवर्तन का बिल सदन के सम्मुख लाया हूँ। यह बिल कहता है कि वर्ष 2013 में जो सीएसआर एक्ट आया था, उसमें प्रावधान है कि आपको समाज के लिए 2 परसेंट सीएसआर (Corporate Social Responsibility) के रूप में व्यय करना होगा। हमने इस बिल के माध्यम से यह सजेस्ट किया है, सुझाव रखा है और आग्रह किया है कि हमारी ऐतिहासिक सम्पदा और विरासत के रख-रखाव और उसके विकास के लिए उस 2 परसेंट का 25 परसेंट उपयोग में लाया जाए, इस तरह की एक बाध्यता बनायी जाए। अगर हम उस दृष्टि से देखें, तो सदन के अंदर बैठे हुए कई लोगों ने ऐसी सारी चीज़ों का दर्शन किया होगा, जो एक दृष्टि से

हमारे देश के मानबिंदु कहलाए जा सकते हैं, वे वहां गए होंगे और मन में एक पीड़ा लेकर वापस आए होंगे कि हमारे देश की सभ्यता का, संस्कृति का और इतिहास का जो इतना पुराना हिस्सा बना है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा वास्तु है - चाहे वह किला हो, चाहे कोई बाड़ा हो या चाहे कोई तीर्थ स्थल हो - उसकी अवस्था ऐसी क्यों है। यह अच्छी बात है कि जब देश परिवर्तन के रास्ते पर आगे निकल पड़ा है, तो हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बना है, उसका भी उद्घाटन होने की स्थिति आ गई है और बहुत अच्छे तरीके से देश के अंदर हमारी विरासत के प्रति सरकार की जो सोच है, वह प्रामाणिकता से सामने आ रही है, झलक रही है। मगर जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास', उन्होंने अभी 15 अगस्त के अपने भाषण में इसमें 'सबका प्रयास' भी जोड़ा। अगर 'सबका प्रयास' बोला है, तो देश के corporate क्षेत्र को इससे अलग नहीं रखा जा सकता, इस प्रयास में corporate क्षेत्र का भी भरसक योगदान हो, और उनके द्वारा जो सीएसआर की राशि अलग से रखी जाती है, उस राशि का उपयोग इस विषय के लिए करने की बाध्यता बने, यह इस विधेयक के पीछे की मेरी भूमिका है।

महोदय, हम सब जानते हैं कि अजन्ता, Verul या जिसको ब्रिटिश के कारण एलोरा बोलते हैं, वहां पर हम जाते हैं, झांसी जाते हैं, नागालैंड में हम दीमापुर जाते हैं तो कहते हैं कि महाभारत की जो हिडिम्बा थीं, उसमें जो शतरंज खेला, उसके कुछ अवशेष वहां दिखाई देते हैं। आप महाबलीपुरम जाइए या उत्तर भारत में अन्यान्य जगह जाइए तो इन सारे अवशेषों की, इन सारी ऐतिहासिक सम्पदा, जो हमारी विरासत के मानबिंदु बने हैं, उनकी अवस्था बहुत ही विकट है। एक तो पर्यटन की दृष्टि से उनका विकास होना ज़रूरी है, वहां पर वाणिज्यिक गतिविधियां अच्छे तरीके से, अनुशासित पद्धति से बनें, जिसके कारण इन विरासतों के रख-रखाव में कोई कमी न आए, इसकी चिंता हो, यह भी ज़रूरी है। मैं एक बार झांसी गया था, वहां हमने देखा कि झांसी के किले में जहां रानी लक्ष्मी बाई का इतना गौरवशाली इतिहास है, वहां बहुत छोटी-छोटी दीवारें हैं और दीवारों के अंदर windows जैसा कक्ष है। जब हमने वहां जाकर देखा तो मन को बहुत पीड़ा हुई, वहां लिखा था, X loves Y. इसके अतिरिक्त भी तरह-तरह के चित्र वहां बने हुए हैं। यह अवस्था हमारी ऐतिहासिक विरासत के सार-स्थल की है, क्योंकि रख-रखाव नहीं है। Archeology Survey of India हो या National Monument Authority हो या विभिन्न राज्यों के इस संदर्भ में काम करने वाले विभाग हों, उनके पास आवश्यक संसाधन नहीं हैं और संसाधन जुटाने के लिए जो आवश्यक उत्साह, उमंग और सबसे महत्वपूर्ण, इस काम के प्रति जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वह भी नहीं है। समाज का दृष्टिकोण भी इसके लिए निश्चित रूप में ज़िम्मेदार ठहराना आवश्यक बनता है। साथ-ही-साथ मैं मानता हूं कि हमारे corporate क्षेत्र को अगर इस पद्धति का एक एहसास दिलाने की कोशिश हम करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे देश की प्राचीन विरासत के बारे में कुछ नए सिरे से शायद हम एक सोच बना सकते हैं। हमारे देश की विरासत और सम्पदा के बारे में केवल हमारे देश के अंदर के विद्वानों ने चर्चा नहीं की है, Mr. Will Durant जैसे एक जगत विख्यात विद्वान ने वर्ष 1930 में जो कहा है, मैं सदन के सम्मुख उनका एक परिच्छेद यहां पर क्वोट करना चाहता हूं। Will Durant साहब ने लिखा है, 'The Case for India' उनकी बहुत मशहूर किताब है। Durant साहब ने अपनी मशहूर पुस्तक 'The Case for India' में लिखा है, "The British conquest of India was the invasion and destruction of a high

civilization by a trading company utterly without scruple or principle, careless of art and greedy of gain, over-running with fire and sword, a country temporarily disordered and helpless, bribing and murdering, annexing and stealing, and beginning that career of illegal and 'legal' plunder which has now gone on ruthlessly for 173 years." 1930 में वे बोल रहे हैं कि 173 साल तक यह plunder, यह लूट चलती आई है। अन्त में वे कहते हैं कि: "England has year by year been bleeding India to the point of death. The British ownership of India has been a calamity and crime. The present plunder has now gone on beyond bearing. Year by year, it is destroying one of the greatest and gentlest people of history". यह Will Durant कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। यह जो लूट मचाई गई थी, यह जो उपेक्षा उनके काल में हुई थी, स्वाधीनता के बाद जरूरी था कि उसके बारे में अधिक संवेदनशीलता से, अधिक अपनत्व की भावना से, अधिक गम्भीरता से इन सारे विषयों पर एक सोच बने, जो दुर्भाग्यवश नहीं बनी। कम-से-कम अभी स्वाधीनता के 75वें साल में 'आजादी का अमृत-महोत्सव' का जो मुहूर्त है, उसको साधते हुए अगर हम इस काम को करेंगे और हमारी इस सम्पदा के रख-रखाव के लिए कुछ कानूनी प्रावधान हम करेंगे तो मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक आवश्यकता शायद हम पूरी कर पाएंगे।

महोदय, मैं कई छोटी-छोटी बातों का जिक्र करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज 'National Monument Authority' के माध्यम से जो भी काम हुआ है, उस काम में भी बहुत सारी गलतियां हैं। जिस पद्धति से इसको सोचने की जरूरत नहीं थी, ऐसी सोच से इसे बनाया गया है। मैं विकृति का एक उदाहरण देता हूं। मैंने सदन में एक बार इसके पहले भी इसका उल्लेख किया था कि कैसी विकृत सोच के कारण ऐसा हुआ है। आपको पता होगा, हम सब को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब प्रतापगढ़ किले पर थे और अफजल खान उनको मिलने के लिए आया तो अफजल खान को यह अंदेशा हो रहा था कि यह सही नहीं है और हो सकता है कि मेरी हत्या हो जाये। जैसे मैं सीधा-सादा वहां जा रहा हूं, वैसे लौट नहीं पाऊंगा। उसकी 62 रानियां थीं, उन्होंने यह कहते हुए उनका कत्ल कर दिया कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं, वापस आऊंगा या नहीं। यह इतिहास है, मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं। बाद में अफजल खान का क्या हुआ, वह हम सब जानते हैं, उसे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आज कर्णाटक में गोलकुंडा किले में 62 बेवाओं की कब्रें National Monument बन गई हैं। वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू महारानी तारा रानी की सतारा के निकट एक छोटी सी समाधि है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और local Government भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाती है- यह हमारा तरीका रहा है। हमने कैसी-कैसी चीजों को monument बना दिया, यह हम सब को पता है।

मेरी तो इस निमित्त से यह भी मांग है कि 'National Monument Authority' के अन्दर जो हमारे देश के monuments हैं, देश के उन monuments की एक नई सूची बननी चाहिए। अभी की सूची पता नहीं कैसे बनाई गई है और किसने बनाई है, उसके बारे में भी एक नये सिरे से सोच बननी चाहिए, ताकि जिन स्मारकों का रख-रखाव होना बहुत जरूरी है, वह ठीक तरह से हो सके। मुझे पता नहीं कि 62 बेवाओं की कब्र पर सरकार का कितना खर्चा होता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे मर्यादित संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग करना है तो इसके बारे में भी मैं मानता हूं कि नये सिरे से एक सोच हमें अपनानी पड़ेगी और उस पद्धति से काम करना पड़ेगा।

महोदय, हमारे देश में यह परम्परा है, यह कोई नई बात नहीं है। महारानी अहिल्याबाई होल्कर को हम सब जानते हैं। अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में क्या काम किया, हम सब जानते हैं। अन्यान्य मंदिरों के बारे में अहिल्याबाई ने क्या काम किया, हम सब जानते हैं। मैं नासिक से आता हूँ, नासिक में जो कालाराम का मंदिर है, ऐसे कई सारे मंदिरों के बारे में उस समय के राजा-महाराजाओं ने क्या काम किया, हम सब जानते हैं। इस तरीके से शासन के द्वारा व्यय होना भी एक आवश्यकता है और शासन के साथ हाथ मिलाकर, कन्धे-से-कन्धा मिलाकर हमारे corporate क्षेत्र को भी कुछ काम करना चाहिए, इसको भी मैं मानता हूँ कि आज यह बहुत बड़ी आवश्यकता है।

महोदय, मुझे सदन के सम्मुख यह विधेयक लाते समय प्रसन्नता है कि न केवल महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश में, जिनके कार्य के बारे में, ऐतिहासिक योगदान के बारे में देश के लोगों को अभिमान होना चाहिए, ऐसे थोरले बाजीराव पेशवे, जो एक दृष्टि से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य के ही प्रधान थे, उनकी एक समाधि नर्मदा के तट पर रावेरखेड़ी में है, मगर रावेरखेड़ी की समाधि के किसी कारण नदी के प्रवाह में आने की सम्भावना बन गई है और हो सकता है कि वह समाधि अब शायद नहीं रह पाए। और यह हो सकता है कि शायद वह समाधि अब नहीं रह पाएगी। कुछ इतिहासकारों ने बीच में माननीय गृह मंत्री जी से संपर्क किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस विषय में काफी रुचि दिखाई और तत्काल उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को निवेदन भी किया। मध्य प्रदेश सरकार अब रावेरखेड़ी में थोरले बाजीराव पेशवे की समाधि का नए सिरे से निर्माण करने का काम करने जा रही है, जिसकी आवश्यकता भी है। जैसा मैंने कहा कि सरकार कितना भी करे, कम है। पुणे में राजा दिनकर केलकर संग्रहालय नाम से एक म्यूजियम है। राजा केलकर नाम का एक युवा था, उसके पिता दिनकर केलकर को ऐतिहासिक संसाधनों को संग्रह करने की एक बहुत बड़ी चाह थी। उन्होंने लगभग 1 लाख 21 हजार चीजों का संग्रह किया है। उसमें बड़ी-बड़ी पालकियां हैं, अस्त्र, शस्त्र, रसोई घर में उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन, जो सौ साल, दौ सौ साल पुराने हैं, उन सारी चीजों के लिए उन्होंने अपने ही बाड़े में चार मंजिल का एक भवन बनाया और आज वह वस्तु संग्रहालय है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप कभी पुणे जाकर, एक व्यक्ति ने जो संग्रह किया है, उस संग्रहालय को जरूर देखिएगा। आज भी वहां के प्रबंधक मुझे यह कहते हैं कि उनके पास ऐतिहासिक वस्तुओं का, चीजों का जितना भी संग्रह है, उसमें से केवल वे आधा ही दिखा पाए हैं। अभी भी उनके पास बहुत-सा सामान शेष है, जो स्टोर रूम में बचा है, जिसके लिए जगह की जरूरत है, संसाधनों की जरूरत है। यही स्थिति मुम्बई की एशियाटिक सोसायटी की है। हम सब जानते हैं कि जैसे देश में कोलकाता में एक एशियाटिक सोसायटी है, वैसे ही मुम्बई में भी है। मुम्बई की एशियाटिक सोसायटी के पास अपनी जगह नहीं है। राज्य सरकार ने मुम्बई में Horniman Circle में जो टाउन हॉल है - उसे कई लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, वहां बहुत बड़ी-बड़ी सीढ़ियां हैं, बहुत जगह उसका चित्रकरण आता है - वह जगह उनको दे दी। मैं आपको बिल्कुल प्रामाणिकता से कह रहा हूँ और यह बताते समय मेरे दिल को बड़ी वेदना हो रही है कि उनके पास बहुत पुराने कागजात हैं। यह एशियाटिक सोसायटी, 1808 में बनी थी। यह बहुत पुरानी संस्था है और 200 साल काम कर चुकी है। उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पुराने दस्तावेज़ हैं। आज दुर्भाग्यवश रख-रखाव की उपेक्षा होने के कारण वे चूहों का अन्न बन रहे हैं। यह बड़ी गंभीर स्थिति

है और उसको देखने के बाद दिल को वेदना होती है। उनके पास पैसा नहीं है। राज्य सरकार कुछ छोटा-बड़ा काम करती है, केन्द्र सरकार भी उनके कर्मचारियों की पगार देती है, मगर जब तक corporate क्षेत्र इस विषय में और ताकत से सामने नहीं आएगा, तब तक मैं मानता हूँ कि इन सारी विरासतों के रख-रखाव की जो आवश्यकता है, उसमें आज समय की आवश्यकता के अनुसार हमें जो करना जरूरी है, मुझे डर है कि हम वह नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कि हमारे ऐतिहासिक monuments की, हमारे जो कागज़ात या दस्तावेज होते हैं, उनके रख-रखाव की आवश्यकता है और massive आवश्यकता है। यह कोई छोटा-बड़ा काम नहीं है। अगर हम इसको एक महान ऐतिहासिक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में देखेंगे, तो यह अच्छी बात है कि नए सिरे से इस विषय में एक सोच बनी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, आंकड़े यह बताते हैं कि 1976 के बाद कुल मिलाकर 54 ऐसे प्रसंग आए कि विदेश में हमारी ऐतिहासिक वस्तुओं को चुराकर लेकर गए थे, केवल ब्रिटेन में नहीं ले गए, ऑस्ट्रेलिया में गए और अन्य देशों में भी ले गए, क्योंकि यहां कोई मां-बाप नहीं था, कोई चिंता ही नहीं करता था। मुझे तो यह डर है कि स्वाधीनता के बाद भी शायद यही वातावरण चला आता रहा होगा, क्योंकि किसी ने इसके बारे में गंभीरता से जितना सोचना चाहिए था, नहीं सोचा। अब 1976 के बाद 54 बार ऐसे artefacts भारत में लाए गए, जिनमें से 41 बार प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सत्ता सूत्र संभालने के बाद लाए गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 75 परसेंट काम अभी विगत सात-साढ़े सात सालों में हुआ। यह बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का साधुवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय में इतनी बारीकी से और जिसको पोलिटिकल विल बोलते हैं, उस राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए काम किया। मैं मानता हूँ कि अब देश का दायित्व बनता है कि हम इसमें आगे बढ़ें। मैं सीएसआर के बारे में सदन को कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। सीएसआर में जब 2013 में यह कानून आया, तो पहले साल में लगभग 68 करोड़ रुपये इस विषय के लिए खर्च किए गए थे, मगर उसके बाद यह लगातार घटता गया। यह स्थिति 40 करोड़ तक आ गई। मैं मानता हूँ कि इस विषय की आवश्यकता को अगर हम देखेंगे, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में धन जुटाने की जरूरत है और इसीलिए मैंने इस कानून के बारे में एक प्रस्ताव दिया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आज conservation के लिए पूरे विश्व भर में जो भारतीय तंत्रज्ञ है, उनका बहुत बोलबाला है। आप कंबोडिया जाइए, वियतनाम जाइए, अंकोरवाट मंदिर के बारे में हम सब जानते हैं - ऐसे कई क्षेत्रों में आज उनके रख-रखाव का काम अगर कोई कर रहा है, तो हमारे संस्कृति विभाग के सहयोग से हमारी सरकार कर रही है, उनको जो भी आवश्यक मदद है, वह मुहैया करा रही है। आज के जमाने में विशेष रूप से अब हम artificial intelligence, virtual reality, augmented reality की बात करते हैं। अगर आज हमारे ये monuments - हमारी जो यह ऐतिहासिक विरासत है, यह जो संपदा है, यह पर्यटकों के लिए खुली करनी है, वैसे तो खुली है ही, मगर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है, तो AR, VR, artificial intelligence, इन सबका हमें उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए धन की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होगी और इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि सदन इस गंभीर विषय को उतनी ही गंभीरता से सोचे और यह जो मेरा प्रस्ताव है, इसका अनुमोदन करे। अगर ऐसा होता है, तो बड़ी मात्रा में हमारे corporate क्षेत्र का जो धन है, हमारे ऐतिहासिक विरासत के जो क्षेत्र हैं, जो स्थान हैं, जो इमारतें हैं, जो किले हैं, उसे इन सबके रख-रखाव के उपयोग में

लाना संभव हो पाएगा और इस विषय में हम एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि सदन इस प्रस्ताव का अनुमोदन करे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you. The next speaker is Dr. Amee Yajnik; not present. Shri Jairam Ramesh.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I was not planning to speak, but I was provoked by the comments of by my learned friend and Member, Dr. Vinay Sahasrabuddhe. I would not go into the introductory part of his speech where he made some sweeping generalizations of the policies of the Government in the early part of the post-Independence-century of India.

Sir, I want to make two comments. Number one, the Companies Act was amended in 2013. The concept of Corporate Social Responsibility was introduced, and I happened to be a member of that Government. This Government has taken that forward. I broadly agree with what the Member says, that we need more investment in preservation of our cultural heritage, our multiple cultural heritage -- not cultural heritage of just one variety, but multiple cultural heritage -- but the idea of introducing CSR was completely different. I think the hon. Member has missed why CSR was introduced. CSR was introduced to develop local areas, because our development experience was that giant companies come, they locate in backward areas, in areas that are very poor in physical infrastructure and, through the instrument of CSR, local communities should benefit. The idea of CSR was not to benefit the national scene, but to benefit local communities, local areas and local regions. Now, where there are cultural monuments and historical monuments in the local areas, I have no problem, but very often these factories and companies are located in areas where there are no monuments and where there is little heritage. So, it makes no sense to pass a law which says that 25 per cent of the two per cent CSR must be reserved for monument protection. Hence, I would request the hon. Member that this should be a guideline. This should not be made a blanket law that 25 per cent should be kept aside for preservation of local monuments, because a monument may be in one area but the company may be in a completely different area. So, don't dilute the idea of CSR. The idea of CSR, Sahasrabuddheji, was to bring the benefits to local communities, to local regions, to improve their social and physical infrastructure. So, this is my first point.

So, this is my first point. My second point is regarding the National Monuments Authority. I say this with great deal of sadness. The hon. Member has repeatedly mentioned the National Monuments Authority. The National Monuments Authority was

established in March, 2010 by an Act of Parliament. This House and the other House passed a law to establish a National Monuments Authority and all parties welcomed the National Monuments Authority. Section 20F of the law that this House and the other House passed stipulates that the Chairperson of the National Monuments Authority -- Rakesh Sinha*ji* is laughing; he knows what I am going to say -- should be a person who is an expert in architecture; or who is an expert in urban planning; or who is an expert in conservation of heritage or he should have an architectural background. Perfectly fine! The Chairperson of the National Monuments Authority should be a professional. We have had three Chairpersons of the National Monuments Authority. First was an eminent historian. The second was an eminent historian. But two years ago this policy was given up and this Government has appointed a former Member of Parliament who has no expertise in urban planning, no expertise in conservation, no expertise in heritage and no degree in architecture as Chairman of the National Monuments Authority. This has become a National Political Monuments Authority. Sahasrabuddhe*ji*, this is no longer the National Monuments Authority. In fact, I have written to the hon. Chairman. I want to move a Privilege Motion against the Minister concerned. How can you appoint the Chairman in contravention of the laws passed by Parliament? This is a very serious issue. I have nothing against the individual. He is a very good friend of mine. If Parliament passes a law and stipulates that the Chairperson of the National Monuments Authority must be a person with the urban planning, architecture or heritage conservation background and you appoint a political person as the Chairperson, what is the result? We know the result -- re-writing of history, re-writing of monuments heritage and declaring mythical areas as areas of monumental and cultural significance. So, I am very sorry to say, Sahasrabuddhe*ji*, that the laws passed by Parliament have not been observed and have been breached. That is why I am deeply, deeply sceptical about the law that you are bringing. I am sceptical, but I agree with the spirit of what you are saying. We must preserve ancient monuments. Have we done a good job of preserving ancient monuments? No. Should we be doing more? Yes. Should Government be investing more? Yes. Should Civil Society be investing more? Yes. But, please, don't make a law which is not implementable and which will destroy the very basis of the concept of CSR which is a good and laudable concept. Local benefits will now be minimised and a politically-determined decision will be made on where this 25 per cent of 2 per cent of CSR will be used. So, my request to you is that we must depoliticise CSR; we must depoliticise the protection of monuments. India is a land of multiple heritages. In whichever cultural heritage it is, it must be protected. You are absolutely right. I have read Will Durant's book. I am entirely in



agreement that we are legatees of a very rich multiple cultural heritage, which needs to be protected. We have only 3,670 monuments protected by the Archaeological Survey of India. It should be 10,000; it should be 15,000. I am entirely in agreement with it, but I am afraid, the Bill, that the hon. Member is suggesting, is the wrong route to take, and, therefore, I request him not to press for this Bill and also please exert his considerable influence on this Government to restore to the National Monuments Authority the professional calibre which it deserves and rescue it from the clutches of party politics. Thank you, Sir.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for this kind opportunity. I have about four minutes. So, I will try to be as brief as possible. माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं ओडिशा से आता हूँ और ओडिशा इतिहास, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति की धरोहर है। इस संस्कृति और धरोहर को जीवित रखने के लिए और भारतवर्ष में जो संस्कृति या धरोहर है, उसको जीवित रखने के लिए जो बिल माननीय डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे जी ला रहे हैं, वह एक उत्तम बिल है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस बिल के पारित होने से 25 प्रतिशत segmentation की जो बात कही जा रही है, 2 per cent of average profit से, सीएसआर के माध्यम से जो resources आएंगे, उससे जो protected monuments हैं, जो archaeological sites हैं, जो हमारे देश की संपत्ति, धरोहर और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, उस हिस्से को और मजबूती मिलेगी और वह हिस्सा और जीवित हो पाएगा। यह एक उत्तम विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं माननीय जयराम जी की एक बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि सीएसआर की जो सोच रही थी, वह सोच यह थी कि जो local businesses हैं, जिस स्टेट में हैं, वह उस स्टेट में अपने resources को, अपने CSR funds को utilise करे, ताकि वह local communities में और बेहतर ढंग से अपनी Corporate Social Responsibility का निदर्शन कर सके। मैं माननीय जयराम जी की इस बात का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर यह बिल पारित होता है तो इस पर गौर रखा जाए, इस पर भी कार्यवाही की जाए कि जो सीएसआर के रिसोर्सेज हैं, वे local communities के लिए develop किए जाएं, न कि अगर ओडिशा में कोई स्टील प्लांट है, तो वह किसी और राज्य में दे दें। ओडिशा में संस्कृति की धरोहर के बहुत मॉन्युमेंट्स हैं, जिन पर कार्यवाही हो सकती है।

उपसभाध्यक्ष जी, क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं funding के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक और मुद्दे के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है और वह AMASR Act का मुद्दा है। कई बार यह होता है कि हम AMASR Act के बारे में इतनी चर्चा नहीं करते हैं, हम funding के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि यदि यह बिल कल पारित हो जाता है, तो इस बिल के पारित होने के बाद आपका जो 25 प्रतिशत का रेवेन्यू आ जाएगा, वह कैसे खर्च होगा? इसको खर्च करने के लिए एक लॉ है। यह जो कानून है, जो कि The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 है, हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, हम इसके amendments के बारे में चर्चा नहीं करते हैं कि यह जो बिल था, लॉ था, क्या यह progressive है? 1958 में बिल पर यह जो एक्ट बना था,

क्या आज उसका कोई relevance और contextual clarity है? जो अमेंडमेंट्स 2010, 2011, 2015 में लाए गए हैं, क्या आज वे अमेंडमेंट्स इस सोच को सशक्त करते हैं या इस सोच के खिलाफ खड़े हैं? मेरा मानना है, मैंने AMASR Act के बारे में थोड़ा-बहुत जितना देखा है और जिस तरह के by-laws, draft bylaws निकलते हैं, उसमें जिस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे - यह prohibited area है, आप इसमें यह नहीं कर सकते, यह regulation area है, आप उसमें वह नहीं कर सकते हैं आदि-आदि, अगर आप इतने सारे प्रतिबंध consultation के बगैर एक एक्ट में प्रदान कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि 25 फीसदी की फंडिंग आ जाएगी, तो उस फंडिंग को कार्यरत करने के लिए जो enabling Act चाहिए, जो enabling law चाहिए, अगर हमारे पास वह enabling law नहीं होगा, तो जो अर्थ है, वह आकर बैठा रह जाएगा। कई जगह देखा जाता है कि DMF में वही चीज़ हो रही है। District Mineral Fund में अर्थ आता है, लेकिन उसको खर्च करने में मुश्किल आती है, क्योंकि DMF में कुछ गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि आप यह खर्च कर सकते हैं, यह खर्च नहीं कर सकते हैं। So, let us be very clear कि जब हम funding patterns के बारे में सोचते हैं, तो it is a very good Bill. सहस्रबुद्धे साहब, It is the need of the hour. क्योंकि सीएसआर फंड सिर्फ social development कार्य में यूज हो, ऐसा नहीं है। हमारे इतिहास को भी जीवित रखने का कार्य करना चाहिए, और यह अच्छी बात है। हमारे साथी एनएमए की बात कर रहे थे। मैं एनएमए के बारे में संक्षेप में कहना चाहूंगा। चाहे NMA हो, चाहे ASI हो, अगर कल उनमें enabling provision of law का रहेगा, तो फंडिंग के लिए वे उसका easily provision कर सकते हैं। आजकल यही देखा जा रहा है कि जो AMASR Act है, मेरी humble opinion यह है कि it is not an enabling Act. उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे दिक्कत हो सकती है। जैसे कोई राज्य है, मान लीजिए ओडिशा राज्य है, वह protected monument में development के कार्य करना चाहता है, जब वे इसमें आगे बढ़ते हैं तो तुरंत ये प्रावधान आ जाते हैं। फिर आप एसआई के पास जाएं, एनएमए के पास जाएं। एनएमए कहता है कि यह तो लॉ में नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते। एसआई कहता है कि यह लॉ के विपरीत है, हम यह नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं-यह ज्यादा सोचना चाहिए। क्या नहीं कर सकते हैं, उस पर हम मौजूदा कानून की वजह से वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यह कोई इच्छाशक्ति का अभाव नहीं है। सारी राज्य सरकारें चाह रही हैं कि उनके यहां जो सम्पदा है, धरोहर है, संस्कृति और परम्परा है, उसे जीवित रखा जाए। But while we have the requirement of resources and funding, we shall also have an enabling provision of law that will ensure that we are able to use that fund effectively. Sir, allotted समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं सारांश में इतना ही कहना चाहूंगा। There are many issues but जो कल्चर का इश्यू है, इतिहास का इश्यू है, वह हमारी सभ्यता-संस्कृति और हमारी existence से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि हम चांद तक पहुंच जाएं, हम चंद्रयान और moon के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है, वह हमारी धरोहर से आता है, हमारी संस्कृति से आता है। मैं ओडिशा से आता हूं, ओडिशा की मिट्टी से आता हूं, उस मिट्टी की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वह हमारे में समाहित है। मैं मानता हूं कि यह बिल पारित होना चाहिए। लेकिन साथ में enabling provision of law, AMASR Act और उसके बाद के जो provisions रहते हैं, उन्हें implement करने के लिए ASI हो या NMA हो, उन्हें भी उतना ही strengthen करने की ज़रूरत है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you. Now, Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I rise to support this Bill. First of all, I do not agree with the views of my colleague, Jairam Ramesh ji because a monument is the property of the country, property of the citizens of the country. Sir, it is our responsibility to protect the monuments. Whether there has to be a budgetary allocation or funds are to be remitted through CSR is only a subject matter of discussion but funds have to be spent and monuments are to be protected. Therefore, I rise to support this Bill.

Sir, there are three, four points which I would like to bring to your kind notice. We are all sitting here. This Parliament building, which we inherited and from where we are operating today, will become a monument down the line after a few years.

SHRI JAIRAM RAMESH: Next year.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Maybe next year or next to next year.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Monument of democracy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Monument of democracy. Yes, this is also a monument. Temples are also monuments, churches are also monuments, mosques are also monuments; all prayer houses are monuments. They are to be protected irrespective of the caste or religion. So, this Bill deserves support.

Sir, I would like to draw your kind attention to the relevant provisions regarding the CSR funds in the Companies Act. It has been reproduced here. On the issue of how to spend the CSR funds, first of all, it has to be two per cent of the average net profit of the company. It is fine. On the issue of where to spend, it says that the company shall give preference to the local area and the areas around it where it operates, for spending the amount earmarked for CSR activities. I would like to draw your kind attention to this particular provision. Let us take the example of a company having its head office or registered office located in Hyderabad, Delhi or Mumbai, and, which has four factories located in four different States. This particular provision in the Companies Act gives the option to the company to spend the funds anywhere. It does not have to be the local area only because it is not mandatory. It gives an option to the company to spend wherever the company wants to spend. It mentions, 'preferably local area' and the company can spend the funds. This should not be the

case because the company is collecting taxes from the local people, paying taxes to the local Government, and enjoying the facilities from the area where it is located. It may be any State for that matter. Therefore, it is obligatory on their part because the revenues are generated from four-five different sources, in case four factories are located in different places. Therefore, it has to be proportional. I am not thinking from a narrow minded point of view. There has to be a provision in this regard and proportionate profits attributable to that particular unit must be spent in the area where that factory is located. This is my opinion.

Secondly, Sir, what will happen if 2 per cent of the net profits are not spent as per the Companies Act? If the amount is not spent within a period of six months from the end of the financial year, that is, if accounts are closed by 31<sup>st</sup> March, if the amount is not spent by 30<sup>th</sup> September, these funds have to be deposited in PM CARES. My point is: Why PM CARES, why not CM CARES also? Why are you restricting this only to PM CARES? So, my point in this regard is this. I support the Bill; however, there have to be some amendments in the Companies Act or some rules have to be framed amending the existing rules enabling the companies to contribute even to the CM CARES also.

Sir, my next point is, what will happen if funds are not spent and then if they are not deposited to PM CARES? The Board of Directors will have to give the reason. That is not what we are expecting from the Companies Act. There has to be a penal provision. That is mandatory. So, there has to be a penal provision to be incorporated in the Companies Act penalising the Company's Directors for not following Section 135, Schedule VII of the Companies Act. Unfortunately, the hon. Finance Minister is not present here in this august House. You are directing the company, mandating the company, to spend 2 per cent of the average profits for Corporate Social Responsibility. When you are giving a direction to the company and asking the company to follow it, why are you not allowing this as an admissible expenditure under Section 37 of the Income Tax Act? Earlier, to the best of my knowledge, when I was practising as a Chartered Accountant, it was admissible and later it became inadmissible. During the period when Chidambaram *ji* was the Finance Minister, he introduced the Amendment Bill. It is Chidambaram *ji* who amended the Act saying that it is inadmissible. It is very unfortunate. When the company is spending the amount, why should it spend the amount from after-tax profits? It has to be admissible as expenditure, and profit or loss should be arrived at only after admitting Corporate Social Responsibility as an admissible expenditure in the profit and loss account.

Sir, in Schedule VII, there are areas where the Corporate Social Responsibility funds could be spent. They are specified, and they are limited. My request to the hon. Minister in this regard is, you should include employees' welfare and employees' housing also in this, which is not included here. When you have included drinking water, health, education, help during natural calamities, skill development, women empowerment, citizen care, environment, including flora and fauna, Ganga, sports, rural development, slum area development, why not employees' welfare?

These are my points, Sir. With this, I support the Bill and request the hon. Minister to kindly consider my points and bring suitable amendments in the rules as well as in the Act. Thank you, Sir.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I wish to agree with Shri Jairam Ramesh when he said that we must refrain from politicizing both preservation of culture as well as CSR. The expenditure on CSR must not lose its core spirit, because it has to be spent on local areas which are near a company sponsoring it. Preserving history in all its richness as well as in its correctness is very important. And diversity must be preserved at all costs. Here when we speak about heritage, we must make sure that we are also speaking about our diversity. We have a certain fear that if this is not defined properly by what we mean by monuments then our diversity may not be included in it. There are tribal museums. There are libraries. There are various monuments, various historical structures and things which are related to the diversity in our culture which must be preserved at any cost.

Sir, I wish to bring to your notice this monument where we are sitting right now. Just now somebody from my colleagues was saying that it is going to be the museumisation of this monument of democracy. Somebody just made a comment. While the Central Vista is being constructed, there is a National Museum right next to it which has got abundant evidence of our freedom struggle. I think we have to pay attention to that. We don't know when that building is going to be demolished. What is going to happen to all those relics of our freedom struggle? The House has to know that. We have a right to know what is going to happen to it and how we are going to shift all these things because this requires a lot of expenditure. This should be made clear before the House. It will be 25 per cent of the revenue. If I heard it correctly, I think my colleague, Dr. Sahasrabuddhe, said that overall it is Rs.40 crore. How many things can be included in it? I must tell you that my point is that monuments and historical evidence must be defined properly.

I have one more suggestion for CSR. There are certain sports where there are individual high achievers like rifle shooting. Rifle shooting requires huge infrastructure.

The National Rifle Association of India is doing good work. Most of our sportspersons are procuring medals for us at the world level in rifle shooting whether it is the Olympics or other World Games. This is an individual sport. If individuals are sponsored through CSR, it will be a great help. If we can build some centres of National Rifle Association in rural areas, I think a lot of rural talent can be tapped. If we can include this under the CSR, this also would be a great idea. Thank you, Sir.

**प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) :** माननीय वाइस चेयरमैन साहब, शुक्रिया, आज माननीय विनय पी. सहस्रबुद्धे जी का यह बिल चर्चा के लिए आया है। डा. अभिषेक मनु सिंघवी जी का बिल नहीं हुआ, लेकिन इस पर चर्चा हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ये बड़े संजीदा व्यक्ति हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर वालों की नज़र पड़े कि इन्हें प्राइवेट मेम्बर्स बिल न लाना पड़े, ये प्रॉपर बिल लेकर आएँ और जल्द लेकर आएँ।

दूसरी चीज़, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे कोई गुरेज़ नहीं है, मैं जयराम जी और बाकी colleagues की फ़ेहरिस्त में अपने को शुमार करता हूँ। हमें अपने monuments को preserve करने की ज़रूरत है और जहाँ repair करना आवश्यक हो, वहाँ maintenance की ज़रूरत है। लेकिन यह राष्ट्र एक अद्भुत राष्ट्र है, बहुत विशाल है, महासागर वाली इसकी प्रवृत्ति रही है, इसे तालाब के नज़रिये से न देखा जाए। मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मैं जिस इलाके से आता हूँ, मैं अपने उस इलाके के बारे में बताऊँ कि जो हमारे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के monuments थे, वे डिस्ट्रॉय कर दिये गये और वह डिस्ट्रक्शन मुगलों के आने के पूर्व हुआ था, सल्तनत के आने के पूर्व हुआ था। हम जब एक बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में आजकल हम उलटे पांव की यात्रा पर भी निकल पड़े हैं, तो उलटे पांव की यात्रा बड़ी खतरनाक होती है, उसमें दिखाई कुछ नहीं देता है, लेकिन पीछे चलते चले जाते हैं, तो उससे बचने की एक कोशिश होनी चाहिए, यह मेरा दूसरा आग्रह है।

महोदय, monuments को प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, मैं उसके कुछ टेक्निकल पहलुओं पर बाद में आऊंगा, जैसा मैंने कहा कि स्पिरिट में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन कुछ विसंगतियाँ हैं, जिनकी ओर मैं इंगित करना चाहता हूँ।

सर, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हमारे मुल्क में 80 प्रतिशत सम्पत्ति दस से कम प्रतिशत लोगों के पास है। यह महज़ आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की नंगी, कूर हकीकत है, जिसको हम दरकिनार करते रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आपने किया, लेकिन यह लगातार होता रहा है और यह हमारे सामूहिक चिंतन में कभी नहीं आया। समाजवाद को ज़रूर हमने प्रीएम्बल में रखा, लेकिन हमने उसके दृष्टिकोण से आज तक कुछ भी टेंजिबल नहीं किया है। जब भी कोई बिल यहां सदन में आता है, मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं उसे प्रीएम्बल के आईने से देखूँ कि यह बिल कैसा है, अच्छा है, बुरा है या प्रासंगिक है। इसलिए माफी के साथ कहूँ कि जब एल्फोंस साहब का प्रीएम्बल में अमेंडमेंट का बिल आया तो न जाने क्यों लगा कि इस पर अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक inequality की बात कही।

दूसरा Hunger Index का मामला है। सहस्रबुद्धे जी की खूबी है कि वे निर्गुण बिल में भी कभी-कभी तल्लख हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसी टिप्पणी कर बैठते हैं कि मन करता है कि अभी

जाकर झगड़ लूं, लेकिन नहीं, मैं उस भावना पर नियंत्रण रखकर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि 70 वर्षों तक इसे अक्सर जुमले की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर आपमें से भाजपा के साथियों ने न पढ़ी हो तो एक किताब बीते दिनों आई है, 'जुगलबंदी', वह आडवाणी जी और वाजपेयी जी के रिश्तों पर बड़ी अच्छी किताब है। उस दौर में क्या-क्या हुआ, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके भी जो पुरखे थे, हमारे 70 साल वाले छोड़ दीजिए, उसमें से उन्होंने भी काफी कुछ किया था। मौजूदा नेतृत्व के समूह-गान में शामिल होने की जिद में आप अपने को भी छोड़ देते हैं, यह उचित प्रवृत्ति नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे बचना चाहिए। मैं क्यों यह बात कह रहा हूँ कि हमें हमारी नीति और नीयत, चाहे यही बिल क्यों न हो, इस नज़रिये से बनानी चाहिए कि जिंदा लोगों पर यह कैसा प्रभाव डालेगा। आप कहते हैं — 'खेलेगा इंडिया', मैं कह रहा हूँ कि 'बचेगा नहीं इंडिया तो देखेगा क्या इंडिया'। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। जब मैं 135(क) देख रहा था, तो मेरा इसमें मानना है कि थोड़ा बैलेंस करना होगा। आपका जो असमानता का महासागर है, अगर आप उसको dent करना चाहते हैं, तो आप specific mandate इस बात का भी दीजिए कि जिस इलाके में भी वह हो, income generating programme पर अत्यधिक फोकस हो। अक्सर CSR में मैंने देखा है कि एक इमारत बनवाई जाती है, वह इमारत कुछ दिनों के बाद खाली खंडहर में तब्दील हो जाती है। हाल के दिनों में यह भी सुना - कई बार सीएसआर के जो टॉप पीएसयू के लोग हैं, उनसे बात करता हूँ तो वे कहते हैं कि थोड़ा बदल गया है, अब जहां-जहां चुनाव होते हैं, आजकल हमें वहां जाने को कहा जाता है। यह जो इलेक्शन के साथ सीएसआर का रिश्ता हो गया है, सहस्रबुद्धे जी के बिल के माध्यम से, वह रिश्ता टूट जाए, कमजोर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण होगा।

इसमें monuments को लेकर जो अथॉरिटी वाली बात जयराम जी ने कही, मैं उससे अपने को जोड़ता हूँ और कहता हूँ कि इस तरह की जो भी बॉडीज़ आप बनायें, उनमें आप ऐसी integrity वाले लोगों को रखें, जिनके ज्ञान पर, जिनके विस्तार पर किसी को कोई शक न हो। आपके पास बहुत सारे ऐसे पद हैं, जो किसी को दिये जा सकते हैं, मसलन आईटीडीसी वगैरह, लेकिन इसमें नहीं, monuments वगैरह टाइप में नहीं, ऐसा मेरा मानना है।

सर, मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूँगा कि जो 'Adopt a Heritage - अपनी धरोहर, अपनी पहचान' वाला भी कार्यक्रम है, क्या हम उसके साथ इसको जोड़कर इसे और पुख्ता कर सकते हैं?

मैं एक बात कहता हूँ कि इन दिनों काफी इमारतें भी बनायी जा रही हैं। हमारी संसद की नयी इमारत बन रही है और सम्भवतः हम लोग अगले वर्ष उसमें बैठेंगे। लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे एक वाइस चांसलर साहब थे, मैं उनके बारे में बताता हूँ कि एक बार एक इमारत बनी थी और एक टीचर के रूप में मैं वह प्रोग्राम कंक्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि 'Cemented structures have an inherent inclination to also become the cemetery of knowledge.' इस संसद की नयी इमारत बनने में मुझे डर इसी बात का है कि कहीं संसदीय लोकतंत्र संग्रहालय की विषयवस्तु न बन जाए। इससे बचना चाहिए। इमारत बनाइए, मज़बूत इमारत बनाइए, आपका नाम शाहजहाँ की तरह हो, जिसने मुमताज़ की याद में ताजमहल बना दिया, आप किसी की भी याद में बनाएँ, लेकिन हाँ, आपने एक इमारत बनाकर दी।

सर, मैं एक आखिरी टिप्पणी करूँगा और उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा। मैंने जो एक बात कही कि सहस्रबुद्धे जी वाले बिल में थोड़ा sense of balance आ जाए और हमारा सबसे बड़ा फोकस income generation में हो, employment generation में हो, साथ ही साथ वह mandated हो। इसके साथ ही मैं विजयसाई जी की वह बात भी जोड़ूँगा कि वह mandated हो, उसका एक direction हो, क्योंकि अभी तक direction का भी अभाव रहा है, इसलिए आप उस आधार पर कोशिश करें।

सर, अब मेरी आखिरी टिप्पणी है। अपने मुल्क में यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भाजपा के बहुत से लोग भी हमसे मिलते हैं, हम लोग अक्सर मिलते हैं, तो कुछ साझा सरोकार की बात करते हैं। कल ही मेरे एक सवाल के जवाब में आया था कि इस देश में सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदली, न ही शंकराचार्य की पीठ पर बैठने वालों की जाति बदली। जिस दिन हम इन दोनों जातियों में बदलाव कर देंगे, उस दिन जो सबसे बड़ा monument है - Indian character, Indian people, उसको हम preserve करेंगे। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ और मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री साहब इस बिल को पास करवा दें। हम लोग कुछ amendments लगा देंगे, लेकिन बिल पास करवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो फिर वे proper Minister बन कर बिल लेकर आयेंगे। थैंक यू, जय हिन्द।

**श्री महेश पोद्दार (झारखंड) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा मैंने प्रोफेसर मनोज जी को सुना है। कहते हैं कि क्लासरूम में यदि प्रोफेसर को सुनो और उसमें से 10-20 परसेंट बात भी जेहन में याद रह जाए, तो काफी अच्छा प्रभाव दूर तक चलता है। मैं इसलिए उनकी बातों को फिर से याद करना चाहता हूँ, ताकि कम-से-कम 10-20 प्रतिशत तो उनकी बात मेरे दिमाग में रह जाए।

सर, मनोज झा जी और मैं, हम दोनों की एक साझा विरासत हमारे बिहार की है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि मनोज भाई यहाँ पर बिहार की उस विरासत के बारे में बात करेंगे, जिसकी अब तक उपेक्षा हुई है। पटना के आस-पास मगध का जो बहुत सारा गौरवशाली इतिहास है, उसको देखना तो छोड़िए, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह अपेक्षा क्यों हुई, इसके पीछे भी एक इतिहास है कि बिहार एक समृद्ध राज्य था, जहाँ बहुत सारे बड़े-बड़े औद्योगिक घराने थे। पता नहीं उस समय CSR की व्यवस्था थी या नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि ये कम्पनियाँ खर्च करती थीं और वह खर्च व्यक्ति विशेष को oblige करने के लिए करती थीं या समाज के लिए करती थीं, यह एक अलग विषय है, लेकिन शायद CSR कानून यदि होता और उनको बाध्यता होती कि वे वहाँ खर्च करें, तो शायद मगध के साम्राज्य की यह जो धरोहर है, उसकी वह स्थिति नहीं होती, जो अभी आज है।

सर, उन्होंने कहा कि हम उलटे पाँव चल रहे हैं। मनोज भाई, हम उलटे पाँव नहीं चल रहे हैं, हम पीछे मुड़ कर चल रहे हैं। हम पीछे मुड़ कर वहाँ पहुँचना चाहते हैं, जहाँ से आप हमें एक रास्ते पर, गलत रास्ते पर ले गये थे। हम उस रास्ते तक, उस मोड़ तक जाना चाहते हैं और फिर वहाँ से हम सीधे चलेंगे और तेजी से चलेंगे, आप भरोसा रखिए। यह जो धरोहर है, यह मुमताज़ की याद में नहीं रहेगी। हमारा जो नया भवन होगा, वह भविष्य की आस में रहेगा, वह नये भारत



का भवन होगा। इसके साथ-साथ और भी बहुत बड़ी-बड़ी चीजें होने वाली हैं, इस उम्मीद के साथ हम नयी कल्पना कर रहे हैं।

अभी हम जिसे एक सम्पत्ति मानते हैं, जब 20 प्रतिशत और 80 प्रतिशत की बात होती है, जब यह बात होती है कि यह फलां घराने की इतने लाख करोड़ की सम्पत्ति है, तो हम यह न भूलें कि उतने लाख करोड़ की सम्पत्ति पर उनका अधिकार नहीं है, बल्कि वे उसका प्रबन्धन कर रहे हैं, वह उनकी सम्पत्ति नहीं है। हम यह न भूलें कि उनके लाखों shareholders हैं, जो कि देश के बहुत सारे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। देश-विदेश से, सारे विश्व के कोने-कोने से लोगों ने उसमें पूँजी लगायी है।

#### 4.00 P.M.

उन सारी पूँजियों को जोड़कर बोला जाता है कि यह फलाने गुप का इतने लाख करोड़ का एसेट है। उनकी उद्यमिता को हम इस नज़र से न देखें कि वे धन संग्रह कर रहे हैं। आज हम देखें कि यदि उनके पास धन है तो वे रोजगार पैदा कर रहे हैं, वे देश के लिए धन पैदा कर रहे हैं और बहुत कुछ पैदा कर रहे हैं और वही सीएसआर के लिए पैसे भी पैदा कर रहे हैं। उनकी कोई बाध्यता नहीं है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है। वे व्यक्तिगत आवश्यकता से बहुत ऊँचे उठ चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य का एक जो आगे बढ़ने का, भविष्य को देखने का और एक सपना देखने का स्वाभाविक गुण होता है, वे वह सपना देख रहे हैं। हम उनके सपनों को ऐरी-गैरी नज़र से न देखें, बल्कि उनके सपनों की हम इज़्जत करें। मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने समय-समय पर इस बात को स्पष्ट किया है कि हम धनार्जन करने वालों को, wealth-creators को सम्मान देते हैं, हम उनको दूसरी नज़र से नहीं देखते और हमें इसको बोलने में कोई संकोच भी नहीं है। प्रधान मंत्री मोदी जी हों या हम जैसे साधारण कार्यकर्ता हों, हम सब लोग इस बात को मानते हैं और इस चीज़ को स्वीकार करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो वर्ष 2013 में कम्पनीज़ कानून बना था, यह काफी लंबे समय बाद बना था। पता नहीं यह कानून कैसा बना कि वर्ष 2013 के बाद इसमें अब तक 100 से अधिक अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। सीएसआर के प्रावधान में भी अमेंडमेंट की संभावना या गुंजाइश है, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन माननीय सहस्रबुद्धे जी ने यह प्रस्ताव दिया है, यह बड़ी बात है। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारे बदलावों की दरकार है, जो कि समय-समय पर लोग बोलते रहते हैं। मैं तो समझता हूँ, बल्कि मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम Companies Act, 2013 को फिर से re-write करें। इसमें 100 amendments हुए हैं, तो आप कल्पना करें कि किसी कानून में 100-150 amendments हो जाएं, तो उसका क्या मतलब है। कानून का पालन कौन करता है-एक व्यवसायी करता है, एक कंपनी करती है। एक छोटी कंपनी होती है और एक बड़ी कंपनी होती है- बड़ी कंपनी के पास तो बहुत सारे जानकार लोग होते हैं, लेकिन छोटी कंपनियों के पास जानकार लोग नहीं होते तो आये दिन उनके यहां इन कानूनों का उल्लंघन होता है, आये दिन उनको सज़ा होती है। मुझे खुशी है कि इस सरकार ने जो बहुत सारे प्रावधान थे, जिनमें सज़ा का प्रावधान था, उनको हटाकर उनको पैनल्टी का प्रावधान किया है। इस बात की हमें खुशी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि इस पूरे

कानून को हम एक नई नज़र से देखें और उसको हम आवश्यकता के हिसाब से आने वाली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की नज़र और ग्रोथ के हिसाब से देखकर एक नया कानून लेकर आयें।

उपसभाध्यक्ष जी, धर्मार्थ की भावना दिल के अंदर से निकलती है और कुछ समाजों में या मैं यूँ कहूँ कि कुछ लोगों में और कुछ धर्मों में भी एक आवश्यकता है। यह बताया जाता है कि आप यदि 100 रुपये कमाते हो, तो उसका एक हिस्सा आप समाज के लिए निकाल दो, उसका कुछ खर्च करो। करीब-करीब सारे धर्मों में इस बात का उल्लेख है। हाँ, एक बात जरूर है कि धर्म की बात को लोग कितना मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह उनके खुद के विवेक पर है। लेकिन हम यह देखें कि आज अंग्रेजों के जमाने से और उसके पहले से देखिए कि भारत में जितने भी मंदिरों के निर्माण हुए- चूँकि मंदिर सिर्फ मूर्ति-पूजा के स्थल नहीं थे, वे मूर्ति-पूजा से बहुत अधिक बड़े स्थल थे, जहाँ पर सांस्कृतिक, आर्थिक और हर तरह की गतिविधियाँ होती थीं और यदि इस देश और इस देश की संस्कृति को बचाया गया है तो इन मंदिरों के द्वारा बचाया गया है तो मंदिर किसी सरकार ने नहीं बनाये थे बल्कि लोगों ने बनाये थे। धर्मशालाएं, कुएँ तथा ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जो कि मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक थीं। बड़े-बड़े अकाल हुए, फिर भी लोग जिन्दा रहे और उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की गईं, तो ये व्यवस्थाएं किसी कानून के द्वारा नहीं की गईं, किसी कानूनी व्यवस्था के कारण या किसी कंपनी के कारण नहीं की गईं, बल्कि छोटे-छोटे लोगों ने, छोटे-छोटे व्यापारियों ने इनमें योगदान दिया।

महोदय, मैं जिस शहर से आता हूँ, उस राँची शहर में ज्यादा पुराना तो नहीं, लेकिन सन् 1960 के आस पास पूरे शहर में एक ही सरकारी अस्पताल हुआ करता था और वहाँ पर भी pregnancy के समय में कोई व्यवस्था नहीं थी। करीब 20 किलोमीटर दूर एक मिशनरी चर्च का हॉस्पिटल था और दूसरा करीब 8 किलोमीटर दूर था। उस समय आम तौर पर लोगों के पास गाड़ियाँ भी नहीं थीं, औरतों को रिक्शे में बैठकर या साइकिल रिक्शा में बैठकर या बस में बैठकर वहाँ प्रसव कराने जाने की मज़बूरी थी। कुछ व्यापारियों ने इस पीड़ा को देखकर निर्णय लिया और छोटे-छोटे चंदे जमा करके लाख-दो लाख रुपये जमा किये और उसके बाद वे किसी बड़े धनाढ्य के यहाँ गये। वे बड़े खुश हुए और उन्होंने अपना बंगला उनको दे दिया कि यहाँ पर आप लोग प्रसूति केन्द्र चालू कर दो। वह चालू हो गया और आज वह 300 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है तथा समाज के द्वारा चल रहा है, लेकिन शुरू के दिनों में उसकी जो घाटे की व्यवस्था थी, मैं यह बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम CSR के द्वारा जो कानून बना कर अब यह कर रहे हैं, तब यह सामाजिक कानून था कि एक particular क्षेत्र के व्यापारियों ने नियम बनाया कि हम जो भी पुर्जा काटेंगे, जो भी बीजक बनाएंगे, उसमें हम चार आना उस हॉस्पिटल के नाम पर लेंगे। वे ग्राहकों से वह पैसा वसूल कर ईमानदारी से जमा करके देते थे और उस व्यवस्था से वहाँ काफी सुविधा हुई। आज के दिन वहाँ सारी modern facilities हैं और कोविड के समय में यदि किसी ने कम दर पर इलाज किया था, तो उसी अस्पताल ने किया था। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि CSR की जो व्यवस्था की गई, वह बहुत अच्छी है, लेकिन इसका प्रबंधन कुछ ऐसे हुआ कि कंपनियों को भी नहीं मालूम कि हमें क्या करना है, चूँकि उनके ऊपर कहीं न कहीं प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव आता है। चाहे सरकारें किसी की भी हों और वे कोशिश करती हैं कि इस फंड पर किसी न किसी तरह हमारा नियंत्रण हो जाए। महोदय, कुछ राज्यों में CSR fund में खर्च क्या करेंगे, उसके लिए राज्यस्तरीय समितियाँ बना दी गई हैं और उसमें मुख्य मंत्री अध्यक्ष होंगे या कोई मंत्री

अध्यक्ष होगा। वहां पर उनके जितने फंड होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप बताओ कि आपका कितना फंड है और उतने फंड को फिर वे decide करेंगे कि कहां-कहां क्या करो। दुखद स्थिति यह है कि हमारे राज्य में सौ वर्ष से अधिक से खनिज का दोहन हो रहा है, लेकिन उन क्षेत्रों के लोग, जयराम रमेश जी ने उन क्षेत्रों का बहुत दूर-दूर तक भ्रमण किया है और उन्होंने अवश्य देखा होगा कि आजादी के 50-60-70 साल के बाद भी और समृद्ध राज्य होने के बाद भी, करोड़ों-अरबों रुपए के खनिज देने के बाद भी वहां के लोग लाल पानी पीने को मजबूर हैं और वहां के स्कूलों की buildings में बिजली नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप यह मान कर चलिए कि क्या हम उन उद्योगों को नहीं बोल सकते थे कि तुम्हारे जिले में जितने स्कूलों के भवन हैं, उनमें बिजली की व्यवस्था करा दो; तुम्हारे जितने गांव हैं, उनमें पेयजल की व्यवस्था करा दो? क्या यह जरूरी है कि उनके फंड को सरकार ले और अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से खर्च कराए? क्या हम लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते कि इस जिले में इस चीज की कमी है, या इस गांव में या इस क्षेत्र में इस चीज की कमी है और हम उनको एक target दे दें कि आप इसको कर दो, चूंकि यह मेरा एक सपना है कि CSR में यदि यह दायित्व दे दिया जाए, तो काम अच्छा होगा, खर्च भी कम होगा और जो intended target है, intention है, वह भी पूरा होगा।

महोदय, रही बात उद्योगों की, तो जयराम जी ने ठीक ही कहा या विजयसाई रेड्डी जी ने ठीक ही कहा कि आस-पास के क्षेत्र के लोगों को उद्योग से अपेक्षा होती है। अपेक्षा गलत नहीं है। चूंकि सब लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन सब लोगों को कुछ न कुछ अपेक्षा होती है कि हमने जमीन दी है, इसका धुआं-धक्कड़ हम खाते हैं, तो इससे हमको भी कुछ न कुछ मिले। अभी वे यह expect करते हैं कि यहां पर एक अच्छा स्कूल बन जाए, यहां पर खेल-कूद का मैदान बन जाए, तो गलत नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यह optional है। It is suggested कि वे आस-पास में खर्च करें, लेकिन क्या करेंगे, नहीं करेंगे, यह उनके ऊपर depend करता है। जयराम जी ने ठीक ही कहा that the idea of CSR was for the local community, local area, local people, local region. I fully agree with him. होना भी यही चाहिए, but I find कि कंपनी झारखंड में चल रही है, headquarter मुम्बई में है and the CSR fund is being spent in Chennai. अगर झारखंड के लोग उद्योग लाने का विरोध करते हैं, तो हम ईमानदारी से पूछें कि उसमें गलत क्या है, हमने उनको क्या दिया। वे विस्थापित हुए, तो हमने उनको ढंग से बसाया तक नहीं। आज अगर वे बस गए हैं, तो उनके पास शौचालय तक नहीं है। मैं तो पीयूष गोयल जी को धन्यवाद दूंगा कि जब वे कोयला मंत्री थे और देश ने शौचालय का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लिया, तो उनकी Coal Companies ने, जो उनका निश्चित CSR Fund था, उससे करीब-करीब दोगुने fund से शौचालय बनाने में मदद की। हमारे झारखंड के बहुत बड़े क्षेत्र में उन्होंने शौचालय का निर्माण किया है। इसको लोग आज भी याद करते हैं। जो एक acceptability होती है कि यदि आप अच्छा करेंगे, तो लोग याद करते हैं, मैं भी उन्हें याद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। That is rare. महोदय, हम जो नेशनल प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे हमने अभी 'हर घर जल' को नेशनल प्रोग्राम बनाने का काम किया है कि हम हर घर तक पाइप से वाटर पहुंचाएंगे, तो क्या हम सीएसआर फंड के अंतर्गत उन सभी कंपनियों से आह्वान नहीं कर सकते हैं कि आप इन-इन गाँवों में, इन-इन क्षेत्रों में पाइपलाइन से जल पहुंचा दीजिए? शायद इससे खर्च भी कम होगा, काम भी अच्छा होगा और तुरंत भी होगा।

महोदय, माननीय सहस्त्रबुद्धे जी ने इतिहास की धरोहरों की चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत पॉपुलर है और वह सही भी है कि हम जब भी भारतीय रेल के डिब्बे देखते हैं, तब वहाँ पर हम भारत की इमारतों के तौर पर कुतुब मीनार को दिखाते हैं, ताजमहल को दिखाते हैं। मैं भाजपा से हूँ, इसलिए यह न समझें कि मुझे कुतुब मीनार से कोई चिढ़ है। बिल्कुल नहीं, लेकिन यह इत्तेफाक भी नहीं है। क्या हम मदुरई के मीनाक्षी मंदिर को नहीं दिखा सकते हैं? क्या वह इमारत भव्य नहीं है? ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं, जिन्हें हम गर्व से दिखा सकते हैं, उन पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन हम उन इमारतों को कहीं-न-कहीं इग्नोर कर रहे हैं। उन इमारतों को लोगों ने संभाला हुआ है, सरकार नहीं संभाल रही है, कंपनी नहीं संभाल रही है। यदि माननीय सहस्त्रबुद्धे जी की अपेक्षा है कि उन इमारतों को संभालने के लिए कंपनियाँ भी आगे आएं, तो मेरे ख्याल से, यह अपेक्षा गलत नहीं है, यह अपेक्षा सही है। यह हो सकता है कि मैं उनसे एग्री नहीं करूँ कि इसके लिए धन नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता चाहिए। इस देश के बहुत बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं, हर तीर्थ-क्षेत्र में किए हैं, चाहे वह धार्मिक भावना से किए हों, लेकिन हम इस बात से भी इन्कार नहीं कर सकते हैं कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं करीब-करीब मिलती-जुलती हैं। हम उन्हें कहाँ से अलग करें? यह ठीक है कि इसमें दूसरे लोगों का प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन बहुत later stage पर पड़ा है, जबकि एक समय ऐसा था, जब बहुत-कुछ मिला-जुला सा था।

अभी माननीय सदस्य ने दो परसेंट का 25 परसेंट करने का प्रस्ताव दिया है। यह कितना होगा, इसका अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन एक प्रश्न दिमाग में आता है कि क्या इन चीजों के रख-रखाव के लिए देश के पास धन-साधन की कमी है? मैं समझता हूँ कि धन की नहीं, बल्कि मन की कमी है। इसमें हमें थोड़ा उदार भी होना पड़ेगा। यदि किसी बड़े भवन को, लाल किले को किसी औद्योगिक घराने को प्रबंधन के लिए दिया गया है, शर्तों के साथ दिया गया है और उसके स्वरूप को बदलने से मना कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि यदि हम अधिक लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो शायद हमारे कुछ साथी बोलेंगे कि इसे बेच दिया, इसे बरबाद कर दिया, इसे फलाने के हाथ में दे दिया, अब इसका नाम बदल जाएगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन यदि वे बातें नहीं हों, तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को इस पर कुछ experiment करने चाहिए और इस लाइन पर आगे बढ़ाना चाहिए।

महोदय, लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि बनारस में है। मैं वहाँ गया था, वह बड़ी ही जीर्ण-शीर्ण हाल में थी। मैंने सांसद बनने के कुछ दिन बाद पत्र लिखा। आज वहाँ पर बहुत भव्य इमारत बन गई है और अब उसे देखकर एक गर्व महसूस होता है, उस समय शर्म आती थी। मैं सांसद बनने के कुछ दिनों बाद Madrid गया था। वहाँ पर बापू की एक प्रतिमा थी। मैंने देखा कि नाम के कुछ अक्षर उजड़ गए थे, मार्बल के कुछ टाइल्स भी टूटे-फूटे थे। मैंने वापस आकर सुषमा जी से आग्रह किया, उन्हें बताया और उन्होंने बोला कि आप एक पत्र भेज दीजिए। मैंने पत्र भेजा, फिर मुझे वहाँ की एम्बेसी की तरफ से फोटो के साथ जवाब आया कि उसे कैसे ठीक कर दिया गया है। महोदय, यदि इच्छा हो, तो हमें उसके पीछे लग जाना चाहिए। मैं अभी एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि राँची में रबीन्द्रनाथ टैगोर जी के परिवार वालों का एक ब्रह्म मंदिर है, जो एक पहाड़ी के ऊपर है। उस पर नाहक ही विवाद हो रहा है कि यह सौ वर्ष से पुराना है या नहीं, क्योंकि सौ वर्ष से पुराने अखबार में छपा हुआ है कि इस परिवार ने ऐसे-ऐसे यह

प्रक्रिया पूरी की है, लेकिन उसे सरकार मान नहीं रही है, उसके अधिकारी मान नहीं रहे हैं। मैं आज इस बिल के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि आप उसे देखें, क्योंकि रबीन्द्रनाथ टैगोर का राँची के साथ बहुत ज्यादा लगाव था, वहाँ पर उनके परिवार का घर था और वे लोग वहाँ पर महीनों-महीनों रहते थे। वह एकमात्र ब्रह्म मंदिर है, निराकार मंदिर है, जो अपने आपमें एक अनूठी भावना है, इसलिए इसको देखें। इस काम को बिना किसी कानून के सरकार कर सकती है और अगर वह चाहे तो किसी कॉरपोरेट को बोलकर करा सकती है।

महोदय, एक दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पर घने जंगल के बीच में आदिवासियों का एक मंदिर है, जो कि शिव का मंदिर है और जहाँ पर एक बहुत बड़ा त्रिशूल है। बहुत-से लोग, जो यह सोचते हैं कि आदिवासी शैव हैं या नहीं हैं, उसका यह एक दृष्टांत है, जहाँ पर सैंकड़ों बरस से ये परम्पराएँ रही हैं। वहाँ पर साल में दो-तीन बार लोगों का बड़ा जमघट होता है, जहाँ लाखों लोग जमा होते हैं। महोदय, अगर हम उन स्थानों पर ध्यान दें, जो ignored हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा।

इन सारी बातों के साथ, मैं माननीय सहस्रबुद्धे जी से केवल आग्रह ही कर सकता हूँ कि ये इसको सुझाव के तौर पर दें। मैं समझता हूँ कि यह काम कानून से नहीं, बल्कि भावनाओं को प्रेरित करने से होगा और ये इसमें सक्षम हैं, क्योंकि ये जिस वर्ग को भी सम्बोधित कर लेंगे, वह वर्ग इनके आह्वान पर कुछ भी कर सकता है।

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, the hon. Member has come out with this Bill where he seeks some amendment in the Companies Act for Section 135 on the corporate social responsibility. Sir, he has come with an amendment which seeks that there should be some kind of a portion carved out from the CSR funds by the company to see that it is used for the repair, restoration, management, maintenance and upkeep of ancient monuments and archaeological sites which are of national importance. Sir, two important facts come out of this; one is that this should have been a representation to the Government and to the hon. Prime Minister, when this already wonderful monument where we are sitting, the temple of democracy, is going to be completely sidelined and a new monument is coming up for us to shift there. So, this should have been taken up at that particular point of time as a separate representation and not as something that is connected to social responsibility in the Companies Act. Sir, corporate social responsibility came in 2013 in the Companies Act where the companies were mandated by law that two per cent of their profit of the preceding three years should be used for social work as a part of their social responsibility in the society. The three highlighting factors were social, human development and environment development where the CSR is spent. When there is a separate authority for monuments and maintenance of these heritage and culture with a special Budget carved out to see that the provisions of this Act are mandated, there is a body, there is an authority, there is a complete system to manage and maintain

these monuments in the country, why would there be, why should there be an amendment in the Companies Act for CSR activities? Sir India's last reports on social indicators are seen, we need so much to be done on the social factors and in the social arena that the corporate responsibility was brought in the year 2013 with that particular intention in mind that this being some kind of a philanthropic activity, the companies may bring in their efforts in their planning so a percentage of their profits is used for society in an ethical and beneficial way. Sir, over the years, the CSR fund has been used to build schools, to see that environmental standards are improved where the company has its projects, in the local areas where there is scope for improvement and it is a complementary part where the Government is bringing schemes and bringing policies and where this corporate social responsibility of that company adds to that efforts of the Government, where the education is required, where environment is required to be preserved, and where we need empowerment on the human development. Sir, these are the indicators of Corporate Social Responsibility. Bringing these monuments and giving an example that when you visit some monument sites and you find some scribblings on those monument walls, you feel that they require maintenance. Sir, this is not to be brought by way of an amendment to correct those kinds of indulgences which our tourists indulge in. There are methods and ways to see that there are duties of the citizens that have to be followed. We want our Fundamental Rights, we also want the States to follow the Directive Principles of State's Policy which are enshrined in the Constitution of India, but we somewhere forget the Fundamental Duties, the civic duties which are supposed to have. We are also a part of society; we also should know that we are not supposed to damage monuments. So, that is a different aspect, but because of that you want to ask the Corporate Social Responsibility to be modified or to be amended and to bring 25 per cent of the 2 per cent of the amount to be spent on the maintenance and management of monuments, I think it is absolutely a complete disjunct between the principles why this particular Corporate Social Responsibility was inserted in the Act. The second thing is, how does hon. Member come to the 25 per cent number? Some rationale has to be given for everything when you bring it by way of a Private Member's Bill, and, to bring such an amendment in the Companies Act, by just coming out with a percentage of the percentage that is carved out for philanthropic activity and voluntarily earlier people used to do, but to bring it by way of a law, I think it is completely irrational in a sense. This should have been done by way of giving some suggestion to the hon. Prime Minister and also to the Government that, yes, we need a lot more social work to be done. If social work is not being complemented by enough funds, I think, there should be ways and means to see that

we are doing something better for the society. Sir, when we talk about environment and we have put the special CSR by way of social upliftment, human development and environment good for the country, Sir, we find that in mining areas, underground water tables are disturbed. We find areas where there is no drinking water. We find areas where women are not empowered. There are no schools in certain areas. If there are schools, there is no infrastructure. Sir, these are the aspects of social responsibility. These are the areas where companies can contribute. That is why over the last ten years or more than nine years, we have come up with this Social Corporate Responsibility, which has done wonders by contributing in several areas. But to talk about bringing monuments and maintaining buildings or managing these buildings, I think it is absolutely not fair. I would request the hon. Member to kindly see what actually is the rationale, the intent, the object behind bringing CSR in the Companies Act. It is a separate detailed Act and to bring this particular aspect has taken wide deliberations and it has been passed by way of an amendment. So, this CSR, let it be there for the intention for which it was created. Sir, last but not the least, the local authorities also do have a say when you talk about managing or maintaining or repairing monuments which are in that particular local areas. Sir, there are several factors, there are several agencies. It can be done in a proper way but not by bringing a Private Member's Bill here. Bringing an amendment in the Companies Act, which has been amended by bringing in a very particular novel idea of bringing the CSR in our law and when we are mandated by law, the Companies are implementing. We heard the amounts of crores that have been given by the companies by way of CSR, we are also seeing the results. But the negative part which was told by a couple of our Members that they are not spent for the right projects or not spent at the right time and they are spent in distant areas, they cannot be a part of such a Private Member's Bill. So, I would request the hon. Member to withdraw this Bill, and come out with a very, very detailed representation to the Government that, yes, we need maintenance of our heritage buildings, we need to repair our buildings and we need to preserve them for posterity, but not in this way. There should be separate budgetary allocations and that is the way, I think, we save our monuments of national importance. Thank you very much.

**श्री राकेश सिन्हा** (नाम निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं विनय पी. सहस्त्रबुद्धे जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे विषय पर उन्होंने विमर्श शुरू किया है, जो दशकों से उपेक्षित था।

महोदय, जो monuments का सवाल है, यदि हम ए.एस.आई. की लिस्ट देखें तो हमारे करीब 3600 monuments preserve किए गए हैं, लेकिन यदि हम एक सर्वेक्षण करें और सतही

सर्वेक्षण करें तो हमारे देश में लगभग सात लाख monuments हैं, जो ए.एस.आई. की सीमा से बाहर हैं। प्रश्न उठता है कि monuments को हम किस रूप में define करें, किस रूप में परिभाषित करें। इस heritage का सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रवाद की परिधि में क्या महत्व है, यदि इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं तो हमें इस बिल की महत्ता के बारे में समझने में सुविधा होगी। यह कानून का रूप ले ले, यह बहुत महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय यह है कि monuments के महत्व को, heritage के महत्व को, एक राष्ट्रीय समुदाय को एक राष्ट्र को समझना चाहिए।

अमेरिका में उस वक्त रूज़वेल्ट ने Antiquities Law बनाया था और अमेरिका के पास अब तक सिर्फ 158 monuments हैं, जो सुरक्षित रखे गये हैं। रोमानिया एक mountain को लेकर राष्ट्र की अस्मिता को परिभाषित कर रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं भारत को देखना चाहता हूँ, लेकिन देखने से पहले मैं महाभारत का एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, जब भीष्म युद्ध के दसवें दिन आहत हुए और आठ दिन तक मृत्यु शय्या पर पड़े रहे। उस दौरान महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, उनके मन में एक संशय था कि परिस्थितियों को राजा पैदा करता है या राजा से परिस्थितियाँ पैदा होती हैं।

*‘कालं वा कारणं राज्ञोः,  
राजा वा कालं कारणम्,  
इति संशय वा भूता,  
राजा कालस्य कारणम्।’*

भीष्म ने कहा कि राजा परिस्थितियों को पैदा करता है, न कि परिस्थितियाँ राजा को पैदा करती हैं। मैंने यह प्रसंग इसलिए सुनाया कि आजादी के बाद जब हमने अपनी यात्रा शुरू की तो वह यात्रा राष्ट्रवाद की थी, वह यात्रा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थी। हमने उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी heritage के सन्दर्भ में, अपने monuments के सम्बन्ध में, अपनी अस्मिता के सम्बन्ध में परिभाषित किया था।

इसी सदन में 1959 में एक प्रश्न आया, वह प्रश्न था कि North Block और South Block की दीवारों पर अभी भी ब्रिटिश राजा-महाराजाओं के, ब्रिटिश संकेतों के चित्र क्यों उल्लिखित हैं? इसी सदन में 1969 में प्रश्न आया और दो-दो बार यह प्रश्न आया। आजादी के 12 साल बाद, 15 साल बाद यह प्रश्न पूछा गया कि वहाँ क्वीन विक्टोरिया के चित्र क्यों लगे हुए हैं, मूर्तियाँ क्यों लगी हुई हैं, King George की मूर्तियाँ क्यों लगी हुई हैं? विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने गाजी नकवार को उद्धृत किया। आखिर गाजी नकवार ने 1914 में यह क्यों लिखा था, finally the British left India, इस भविष्यवाणी के पीछे वे empirical facts और तथ्यात्मक चीजें थीं, उस घटना का जिक्र करके मैं इस बिल पर आना चाहता हूँ।

श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन में लंदन में थे, उन्होंने India House की स्थापना की, हम सब जानते हैं कि India House भारत से बाहर साम्राज्यवादी आन्दोलन का एक केन्द्रबिन्दु था। चाहे लाला हरदयाल थे या वीर सावरकर थे, सभी India House और श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रेरित और प्रभावित थे। वे 'Sociologist' नामक एक पत्रिका निकालते थे। पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और साम्राज्यवाद के विरोध की जो वैचारिक लड़ाई थी, उसे वे वहाँ लड़ रहे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी मृत्यु के पहले एक Will लिखी, उससे पता चलता है कि एक राष्ट्रवादी की, एक



देशभक्त की अंतिम इच्छा मातृभूमि से आत्मसात हो जाना होती है। उन्होंने विल में यह लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थि भस्म को आज़ादी के बाद, स्वाधीनता के बाद भारत ले जाया जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम 15 अगस्त, 1947 को आज़ाद हुए, लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया और राजनीतिक आज़ादी मिल गई, आप कल्पना कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है, उसकी आत्मा कहां जाती है, लेकिन मैं मानव बुद्धि से इतना समझ सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि एक देशभक्त, जिसने विल में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद अस्थि भस्म को भारत ले जाया जाए, उनके जीवन की दूसरी कोई तमन्ना नहीं थी, तो 47 से 57 बीत गया, 67 बीत गया, 77 बीत गया, 87 बीत गया और 97 भी बीत गया, लेकिन उनके अस्थि भस्म के बारे में भारतीयों को कुछ भी पता नहीं था। वर्ष 2003 में वर्तमान प्रधान मंत्री और उस वक्त के गुजरात के मुख्य मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी जिनेवा से श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थि भस्म को भारत लाए। उन्होंने गुजरात में 55 एकड़ ज़मीन में एक क्रांति तीर्थ की स्थापना की। शायद यही वैचारिक यात्रा है। इसी वैचारिक यात्रा का, नई दिल्ली का जो परिणाम था, उसने 200 साल पुराने The Guardian अखबार को यह लिखने के लिए बाध्य कर दिया कि "Finally, the Britishers have left India." सर, भौतिक रूप से ब्रिटानी 1947 में गए, लेकिन विचार के स्तर पर हमने ब्रिटेन को 2014 में वापिस भेजा। वर्ष 2014 के बाद अधिष्ठान में जो परिवर्तन हुआ, मैं उसका बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय शैली और भारतीय पुरातत्व, इन तीन चीज़ों का उल्लेख भारत के प्रधान मंत्री के संसद और संसद के बाहर के भाषणों में जो होता है कि एक समाजशास्त्री, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक जितना भी परिस्थितियों को बदलना चाहे, बदल नहीं सकता है, वह विमर्श का हिस्सा बनता है, लेकिन जो भीष्म ने कहा कि शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि धारणा में परिवर्तन करता है, दृष्टि में परिवर्तन करता है, दौड़ में परिवर्तन करता है, तो समाज में एक बुनियादी परिवर्तन आता है, सोच और विमर्श में परिवर्तन आता है। इसलिए 2014 के बाद जो विमर्श में परिवर्तन हुआ, वह एक महत्वपूर्ण अधिष्ठान का परिवर्तन है और विचारों के स्वराज की ओर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पुरातत्व का महत्व सिर्फ एक संरचना के रूप में नहीं होता है। केरल में एक हजार साल पुराना पालक्काड़ का मंदिर है, जो Chola Dynasty का stone से बना हुआ मंदिर है, तो क्या वह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान है? शिवाजी का रायगढ़ में जो किला है, तो क्या वह केवल एक किला मात्र है? बिहार के औरंगाबाद में एक देव सूर्य मंदिर है, जो सैकड़ों साल पुराना है। क्या वह सिर्फ मंदिर मात्र है? भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता यात्रा हुई है। उस सभ्यता और सांस्कृतिक यात्रा का चित्रण चाहे अशोक का पिलर हो या शिवाजी का रायगढ़ में किला हो या केरल का पालक्काड़ का मंदिर हो, वे सभी visual रूप में राष्ट्र को दिखाते हैं। इन चीज़ों का संरक्षण करके हम past में, भूत में नहीं जीते हैं। हम वर्तमान को चित्रित करते हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करते हैं। The past resembles the present and we strengthen the posterity.

इस बिल में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसको जयराम रमेश जी ने एक दूसरे अर्थ से अलग किया है। मैं नहीं कहता हूं कि यह कानून बने, लेकिन विमर्श का मूल मुद्दा यह है कि सीएसआर का खर्च वहां होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह दो परसेंट से अधिक बढ़ना चाहिए

या नहीं बढ़ना चाहिए। मैं जयराम रमेश जी से बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन आज उन्होंने कहा कि सीएसआर का मूल उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास को प्रोत्साहित करना है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि स्थानीयता का महत्व सीएसआर में है, लेकिन एक राष्ट्र की परिभाषा यदि भौतिक विकास में होती, तो भारत का अस्तित्व आज नहीं, सैकड़ों वर्ष पहले मिट गया होता। हमने संस्कृति को अपनी सभ्यता के आईने में परिभाषित किया और सभ्यता को मानव यात्रा के साथ जोड़ा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मानव यात्रा, सभ्यता और हमारी संस्कृति, तीनों के बीच जो जीवंत संबंध है, उसी को हमारे पुरातत्व प्रतिबिम्बित करते हैं। एक स्थानीय स्तर का पुरातत्व, चाहे सेन्ट्रल दिल्ली में जो अशोक का पिलर है, उस अशोक के पिलर के ढांचे में आज जो दिक्कतें आ रही हैं, उस ढांचे में जो न्यूनताएं आ गई हैं, उन न्यूनताओं को हमारी वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी। उसका ध्यान अशोक के उस साम्राज्य की ओर नहीं, अशोक की धम्म की परिभाषा की ओर नहीं जाएगा, बल्कि उसका ध्यान इस बात की ओर जाएगा कि आज वर्तमान के हमारे जो शासक हैं, उनकी दृष्टि में संस्कृति और सभ्यता का महत्व नहीं है।

2014 में सत्ता बदलने के बाद प्रधान मंत्री जी ने बार-बार एक बात पर ज़ोर दिया। उन्होंने 'मन की बात' में उस स्थानीय पक्ष को रखा, जिस स्थानीय पक्ष में वैश्विकता आती है और उस वैश्विक पक्ष को रखा, जिसमें स्थानीयता आती है। ये monuments भारत को एक राष्ट्र के रूप में, विज़ुअल के रूप में दृष्टि दिखाते हैं। दुनिया भारत को उन्हीं monuments में देखती है। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अमेरिका के पास 158 monuments हैं। रूज़वेल्ट ने जब 1906 में कानून पर दस्तखत किए थे, उसने 17 बार उसका उपयोग किया। अगर रूज़वेल्ट ने अपने जीवन में किसी कानून का सबसे अधिक उपयोग किया, तो इसी Antiquities Act का किया। वह जानता था कि अमेरिका को एक हिस्टोरिक कम्युनिटी बनना है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दूसरे देश ऐतिहासिक समुदाय बनने की प्रक्रिया में monuments को ढूँढ़ रहे थे। हम ऐतिहासिक समुदाय इसलिए हैं कि चाहे 1947 हो, या 1857 हो, या उसके पहले 1757 हो, भारत की परिभाषा 1700, 1600 या चार साल की नहीं है। भारत की परिभाषा दस हजार साल की यात्रा की है। यदि नालंदा विश्वविद्यालय के monuments को लेकर सिर्फ हमने यह देखा कि एक भवन को जला दिया गया है, तो वह नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने भले ही आग लगाई, लेकिन वह एक दार्शनिक पक्ष को पीढ़ियों और दुनिया को दिखाती है। 'एकम् सत् विप्राः बहुधा वदन्ति', यह जो सिद्धांत है, यह जो दर्शन है कि contestation is the core, जो प्रधान मंत्री जी ने पिछले भाषण में केदारनाथ से उपनिषद् के दो शब्दों का प्रयोग किया - 'नेति-नेति', 'यह भी नहीं, वह भी नहीं', 'This is not; that is not'. Contestation is the core of the Indian civilizational values. यदि हम contestation को निकाल दें, 'नेति-नेति' को निकाल दें, तो पंथनिरपेक्षता की संपूर्ण परिभाषा ही समाप्त हो जाती है। जिन लोगों ने 'नेति-नेति' से बाहर रहकर भारत की पंथनिरपेक्षता को परिभाषित किया और जो लोग 'नेति-नेति' में रहकर पंथनिरपेक्षता को परिभाषित करते हैं, monuments उसी को चित्रित करते हैं। वह मात्र एक structure नहीं, मात्र एक संरचना नहीं, उसके पीछे एक दर्शन है, एक इतिहास है।

Monuments के बारे में दो और महत्वपूर्ण पक्ष हैं। जब हम किसी heritage को देखते हैं, मैं नैमिषारण्य का नाम लेता हूँ, उपसभाध्यक्ष महोदय, आप परिचित होंगे, यह आपके राज्य से जुड़ा हुआ है, क्या आपने दुनिया के इतिहास में कहीं सुना है कि 12 साल तक विमर्श लगातार चला?

नैमिषारण्य में हिंदुस्तान के सारे संत और विद्वान इकट्ठा हुए। आज हमारा सेमिनार चार दिन का, छह दिन का या महीने भर का होता है। 12 वर्ष तक एक दिन में सौ-सौ सेमिनार्स एक साथ, समानान्तर होते थे। उस नैमिषारण्य को संरक्षित करना और नैमिषारण्य की उस दृष्टि को पीढ़ियों को दिखाना कि यह देश तर्क पर आधारित देश है, क्या हम इसको आर्थिक ढांचे में देखेंगे कि 2 परसेंट हो या 25 परसेंट हो? जैसा अभी भूपेन्द्र जी ने हस्तिनापुर के बारे में कहा, हस्तिनापुर का जो एक चित्र है, उस चित्र में भारत भारत को जीता है। जो भारत से बाहर के लोग यहां आते हैं, जब हस्तिनापुर के बारे में उन्हें बताया जाता है कि यह युद्ध कैसे हुआ, उस युद्ध में क्या परिणाम निकला, भगवद्गीता का उपदेश कैसे दिया गया, तो वह सभ्यता की ओर निरंतरता है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है, बाकी राष्ट्र राजनीतिक राष्ट्र हैं। पहले एक सभ्यता होती थी और अनेक राष्ट्र होते थे, लेकिन जब से यूरोप ने Modern Nation State का concept दिया है और राष्ट्र को संस्कृति से बाहर भूगोल में समेटना शुरू कर दिया है, हम एक बड़ी सभ्यता को, दस हजार साल बड़ी सभ्यता को और भारत की वर्तमान geographical area से बाहर की सभ्यता को एक छोटे से भूभाग में समेटकर रखने की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। यह सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। मैं जयराम रमेश जी को बताना चाहता हूं कि यह हमारी एक नैतिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है, हम उस सभ्यता को लेकर चल रहे हैं। आज हमारे बहुत से हिस्से अफगानिस्तान में हैं। संस्कृति की बहुत सी विरासत की चीजें आज पाकिस्तान और बंगलादेश में हैं। आखिर महर्षि पाणिनि का जन्म कहां हुआ? सिर्फ भूगोल बदलने से महर्षि पाणिनि को भारत भूल नहीं सकता है। पृथ्वीराज चौहान का आज स्थान कहाँ है? भले ही वह अफगानिस्तान में हो, लेकिन आज पृथ्वीराज चौहान को हिन्दुस्तान भूल नहीं सकता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिधि में जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, तब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी बातें कहीं। उस समय सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। वह एक महत्वपूर्ण डिबेट है। हमारे मित्र इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे - मैं डा. राजेन्द्र प्रसाद जी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सम्मान करता हूं कि दोनों की अपनी दृष्टियां होती थीं, दोनों ही अपनी दृष्टि के अनुसार बातें कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दृष्टि में यूरोप-आधारित एक राष्ट्रवाद की परिकल्पना थी और डा. राजेन्द्र प्रसाद, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के मस्तिष्क में एक भारत-केन्द्रित राष्ट्रवाद की परिभाषा थी। सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने एक हिन्दू मंदिर को तोड़ा, इस रूप में देखने की एक परिभाषा आई, उसी परिभाषा से बाहर निकल कर जब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा, तो उस पत्र में उन्होंने लिखा, "The collective subconscious of India is in favour of re-structuring the Somnath Temple". यह collective subconscious of India क्या है? यह जो सामूहिक सब-चेतना है, सामूहिक उप-चेतना है, वह सामूहिक उप-चेतना तीन बातों से बनती है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात दो मिनट के अंदर समाप्त करता हूं। पहली बात, सामूहिक उप-चेतना में हम अपने आपको उस विरासत से जोड़ते हैं। विरासत, legacy सिर्फ एक शब्द नहीं है। विरासत अद्वैत का शब्द नहीं है, वह द्वैत का शब्द है। विरासत से हम उस भवन को देखते हैं, जिस भवन से हम यह बात जोड़ते हैं कि इस भवन से शासन कैसे हुआ? इस भवन में बैठा कौन था? उसका सामाजिक और राजनैतिक दर्शन कैसा था?

दूसरा, जो हम अपनी विरासत के अलावा जोड़ते हैं - राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हमारी आयु क्या है? क्या हमारी आयु विदेशियों के द्वारा परिभाषित है या आयु हमारे द्वारा परिभाषित है, तो आयु हमें उस हैरिटेज से, उस विरासत से मिलती है। तीसरा, हमारा भविष्य क्या है? जो हैरिटेज है, जो monuments हैं, वे हमारे पास्ट को नहीं, पास्ट की उस glory को दिखाते हैं, जिन monuments से हमारी हार दिखाई पड़ती है, वहां हमारा resistance दिखाई पड़ता है। मैं किसी monument को हटाने के पक्ष में नहीं हूँ। इसके बावजूद भी भारत की सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ती रही है। यह जो 'बावजूद' है, यह with you, without you, irrespective of you है। जो monument हमारे साथ रहा, जो monument हमारे साथ नहीं रहा, जो monument रहने के बावजूद भी हम रहे, इन तीनों के बावजूद भारतीय सभ्यता और संस्कृति पलती, बढ़ती रही।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। इसकी चर्चा मैंने एक बार अपने भाषण में इस सदन में की थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ, आप बार-बार इधर देख रहे हैं। प्रो. के.सी. भट्टाचार्य ने 1931 में एक आशुतोष मेमोरियल लेक्चर कोलकाता में दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि राजनैतिक गुलामी दिखाई पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्ति के ऊपर domination होता है, आधिपत्य होता है, लेकिन सांस्कृतिक और वैचारिक गुलामी दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि वह विचारों के तौर पर, संस्कृति के तौर पर शनैः शनैः आपके अंदर आती है। पहले आप उसका प्रतिरोध करते हैं, बाद में वह आपको स्वयं आदर्श लगने लगता है। जिसकी आप नकल करते हैं, imitators बन जाते हैं, वह आपके लिए आदर्श बन जाता है। फिर आप वैसा ही बनना चाहते हैं, वैसा ही बोलना चाहते हैं, वैसा ही करना चाहते हैं। यूरोप-केन्द्रित जो वैचारिक domination था और है, उसका कारण है कि 1947 से लेकर 2014 तक हमने monuments को बचाया, लेकिन हमने उसके महत्व को नहीं समझा। हमने अपनी गति धीमी रखी। यही कारण है कि 1959 में इस सदन में जब यह सवाल पूछा गया कि Queen Victoria और Edward King George की प्रतिमाएं अभी भी दिल्ली में क्यों बनी हुई हैं या नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की दीवारों पर ब्रिटिश चित्र क्यों लगे हुए हैं, तो हमारी सरकार जवाब नहीं दे पाई। मुझे लगता है कि भारत में जो परिवर्तन आ रहा है, वह परिवर्तन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परिवर्तन है। वह देश को समृद्ध कर रहा है और यह बिल इसी समृद्धि में आता है। मुझे लगता है कि डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे जी इस पर विचार कर रहे हैं, इस बिल के द्वारा जो एक विमर्श शुरू हुआ है, इस विमर्श के द्वारा हम जिस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, वह रास्ता हमारी उस ग्लोरी का रास्ता है, जिसको हमने पीछे खोया था। उसे प्राप्त करने के लिए, उसी स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। कोई चाहे न चाहे, लेकिन भारत का कदम बढ़ चुका है और इसे कोई रोक नहीं सकता है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) :** धन्यवाद राकेश सिन्हा जी। नेक्स्ट स्पीकर, श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर।

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR (Rajasthan): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. सबसे पहले तो मैं डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे

जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने "दि कंपनीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2019" को इंट्रोड्यूस किया है। वैसे मैं हाउस में आया ही था, जब विनय जी बोल रहे थे। मैं खुद इस बिल से प्रभावित हूँ, involved हूँ, इसलिए जब वे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे इस बिल पर जरूर बोलना चाहिए। Sir, this Bill says that at least 25 per cent of the 2 per cent -- अभी एक मेम्बर ने बोला था कि 25 टका; यह 25 टका का नहीं है, बल्कि 2 परसेंट का 25 टका है; कुछ मेम्बर्स इसको प्रॉपर्टी समझ नहीं रहे हैं -- of the average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years, be spent on repair, restoration, management, maintenance and upkeep of ancient monuments. So, 'average net profit' को भी और क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। सर, मैं खुद एक बहुत प्राचीन मॉन्युमेंट का ऑनर हूँ। हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से इसको संभाल नहीं पा रहे हैं।

Sir, monuments are an integral part of the country's culture and a source of reconstruction of history for the historians of the future. Sir, they represent the past of a country on which the present is built, and I am very glad that CSR has been introduced to look after these monuments. Sir, there are 38 UNESCO heritage sites in the country. 18 अप्रैल को 'World Heritage Day' है। The Ministry of Culture receives less than one per cent of the annual budget of the country, if I am not wrong. I think I am correct; and so we need more funding, of course, but if CSR can help in preserving the monuments of India, it will be a great help.

हमारे भारत में अनेक मॉन्युमेंट्स हैं और कई मॉन्युमेंट्स खराब हो रहे हैं। Sir, improper maintenance leads to long-term or permanent damage of artifacts and the monuments itself, and a lot of artifacts go missing. So, there is permanent damage or a heritage is lost forever. Ninety-three ASI monuments listed हैं। Sir, adopt the heritage by a local industry and to look after a monument, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बोला था कि अगर एडॉप्ट करना है, तो उसी एरिया के मॉन्युमेंट को एडॉप्ट करें, इसलिए एक प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री यहाँ है, तो यहाँ के मॉन्युमेंट को ही एडॉप्ट करें बजाय हज़ार या सौ मील दूर के मॉन्युमेंट को। यह एक प्रावधान इसमें जरूर होना चाहिए। डूंगरपुर में हमारी एक प्रॉपर्टी जूना महल है। इसका कंस्ट्रक्शन 13वीं शताब्दी में चालू हुआ था और 13वीं से 18वीं शताब्दी तक यह कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। पूरे भारत में इसके अंदर सबसे ज्यादा पेंटिंग्स और वॉल म्युरल्स हैं। पूरे भारत में एक ही महल में ये सबसे ज्यादा हैं। इसको 2014 में 'World Monuments Fund Watch List' में चिह्नित किया गया था। इस लिस्ट में भारत के अनेक मॉन्युमेंट्स हैं। हमें खुशी है कि हम भी इस लिस्ट में आए, जैसे अनेक मंदिर हैं, हम्पी में फोर्ट्स हैं, इसमें ताज महल भी है। यह जो लिस्ट चिह्नित हुई, यह World Monuments Fund के ऊपर है, जो यह ध्यान आकर्षित करता है कि यह भी एक प्राचीन monument है, जिसे मदद की जरूरत है, लेकिन फंड का अभाव है। आज हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम खुद ही देखते हैं कि हर साल कुछ न कुछ इसमें डेमेज होता है और फंड की कमी रहती है। चूंकि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसलिए मैं सरकार से गुज़ारिश

करता हूँ कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरह इस तरह के प्राइवेट पैलेसेज को भी फंड्स की मदद देनी चाहिए।

पूरे विश्व में यह सबसे पुराना रेजिडेंस पैलेस है, जो 13वीं शताब्दी से एक ही परिवार के साथ रहा है। यह हमारे old palaces के हिसाब से यूनीक है। यह जो धरोहर है, यह सिर्फ मेरी ही धरोहर नहीं है, यह मेरे शहर डूंगरपुर की धरोहर है, यह मेरे राज्य राजस्थान की धरोहर है और यह मेरे देश भारत की भी धरोहर है।

इस तरह से देखा जाए तो यह हम सबकी धरोहर है और इसे सम्भालना बहुत ही जरूरी है। इस तरह के जो और भी palaces, forts and monuments हैं, ये आज़ादी के पहले old dynasties, राजा-महाराजाओं ने बनवाए हैं। इनके अतिरिक्त कई मंदिर भी राजा-महाराजाओं ने बनवाए हैं। इस तरह से भारत की संस्कृति और हैरिटेज में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सबने भारत में विलय करके यह धरोहर भारत के साथ जोड़ी है, इस बात की हमें बहुत खुशी है।

महोदय, अंत में मैं एक बार पुनः विनय जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बिल को यहां पेश किया और मुझे इस पर बोलने का मौका मिला। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री; योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह):** उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य श्री विनय सहस्रबुद्धे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस किस्म का बिल लाकर उन्होंने monuments and archaeological sites के ऊपर प्रकाश डाला है। जिस भाव से ये बिल लाए हैं, वह मैं समझ सकता हूँ। उस भाव से मैं सहानुभूति भी रखता हूँ, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। वह क्यों नहीं कर सकता, उसका ब्यौरा मैं आगे अपने जवाब में दूंगा। इससे पहले सीएसआर विषय को लेकर कुछ misconceptions हैं, मैं उन्हें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का, चाहे इधर के हों या उधर के हों, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने भाव इस बिल पर व्यक्त किए और मैंने उन्हें नोट किया है। सबसे पहला misconception monuments के बारे में यह है, मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि declaration of the list of monuments is beyond the mandate of The Companies Act, 2013. I would also like to say that the National Monuments Authority है, वह कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अधीन नहीं आती है, न ही कम्पनीज़ एक्ट के तहत उसे गवर्न किया जा सकता है। दूसरा misconception यह है, जैसा हमारे माननीय सदस्य रमेश जी ने कहा कि जब यह एक्ट बनाया गया, उस समय उनकी सरकार थी। वे शायद सोचते हैं कि केवल एक क्षेत्र के लिए ही जहां पर वह कम्पनी अपने base of operations रखती है, उस एरिया के विकास के लिए ही यह दो फीसदी amount होता है, इसलिए उसे वहीं खर्च किया जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से आज इस तरह की कोई सोच नहीं है। वह पैसा एरिया स्पेसिफिक किसी को मिले, किसी जिले को मिले, उसके लिए अलग से प्रावधान है। वह प्रावधान है-Mines and Minerals Development Act, which provides for the creation of a District Mineral Fund, which specifies spending of funds in that local area itself where the mining takes place.

Now, having cleared these two misconceptions, I would like to move on further that the pan-India thinking of the Government of India is that if a company makes profit at a particular place, it is not necessary that that place itself should benefit from the CSR funding of that company. We must take into account the places like Jammu & Kashmir, Ladakh and the North-East. The company can make profit, but it should be allowed to spend money wherever it thinks necessary and this is the mandate given to the Board of the company कि आप जिस तरह से चाहते हैं, इस दो फीसदी पैसे को खर्च कर सकते हैं। हमारे Company Act का जो Schedule VII है, उसके अन्दर यह निर्धारित किया गया है कि यह पैसा कहाँ-कहाँ खर्च किया जा सकता है। मैं उसका थोड़ा ब्यौरा देना चाहता हूँ, ताकि जो कुछ और misconceptions भी हैं, जो sports वगैरह के बारे में थे, वे भी clear हो जाएँ। Schedule VII के अन्दर लिखा गया है, and it is already related to health, education, poverty eradication, hunger, women empowerment, welfare of the Armed Forces veterans, environment, sports, rural development, slum development, welfare of weaker sections, disaster management, research and development in the field of science, technology, engineering, medicine, etc. Art and culture is also part of this Schedule. So, under the CSR activities that have been undertaken since 2014, मैं उसका ब्यौरा देना चाहता हूँ। शुरुआत में जब 2014-15 का financial year आया था, उस टाइम से art and culture के तहत, जिसके अन्दर monuments भी आ सकते हैं, architectural sites भी आ सकती हैं, 2014-15 के अन्दर 117 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वह बढ़ते-बढ़ते 2017-18 के अन्दर 395 करोड़ हो गया और मौजूदा financial year तक 2,093 करोड़ बन गया है, जबकि पिछले साल, 2019-20 के अन्दर 930 करोड़ था। मैं समझता हूँ कि जैसे-जैसे CSR की progress होती जा रही है, monuments की तरफ भी, art and culture की तरफ भी कॉर्पोरेट्स की, कॉर्पोरेट्स के बोर्ड्स की यह रुचि बढ़ती जा रही है।

एक तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ sports की बात है, National Rifle Association का ज़िक्र आया। न केवल National Rifle Association for shooting, sports की कोई भी activity हो, जो विदेश के अन्दर भारत का नाम प्रसिद्ध कर सकती है, चाहे वह paralympics की हो, चाहे able-bodied sports की हो, या wheelchair sports की हो, चाहे States के माध्यम से किसी को बाहर भेजने की हो, तो वे सारी की सारी already covered हैं।

चूँकि यह भारत सरकार का broad नज़रिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो सहस्रबुद्धे जी ने कहा है, हम उसको नज़रअंदाज़ करना चाहते हैं। हालाँकि कॉर्पोरेट मंत्रालय या CSR के तहत यह हमारा mandate नहीं है कि हम उनको पाबंद करें कि इस चीज के लिए खर्च करें, लेकिन अनौपचारिक तौर से इसके बारे में चर्चा जरूर हो सकती है। जब हम चर्चा करते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से करते हैं, MP के तौर पर भी कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट्स के दिमाग के अन्दर भी कुछ न कुछ ख्याल आएगा। FICCI जैसी संस्थाएँ, जो companies को represent करती हैं, हम उनसे यह चर्चा जरूर कर सकते हैं। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल कर, हाउस के सभी सदस्य, जिन्होंने इसके अन्दर हिस्सा लिया है, वे सभी मिल कर इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो monuments के ऊपर भी आने वाले समय के

अन्दर कुछ और खर्च under the Art and Culture Head will take place. Except for a few who have not accepted that monuments should be preserved, the sense of the House is that the monuments should be preserved.

**5.00 P.M.**

This is our historical legacy. It should be preserved. For that, we are willing to talk to the corporate sector.

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) :** माननीय मंत्री जी, सदन का समय समाप्त हो रहा है। अगर आप दो-तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर सकते हैं, तो कर लीजिए।

**श्री राव इन्द्रजीत सिंह :** जी हां, मैं दो-तीन मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। श्री सहस्रबुद्धे जी से मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि फिलहाल आपने भारत सरकार के संज्ञान में, प्रधान मंत्री जी के संज्ञान में यह बात ला दी है, इसलिए अभी मैंने सदन में जो बातें कहीं, उन पर विचार करते हुए, कृपया आप इस बिल को वापस ले लीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you. The discussion will continue next time. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 6<sup>th</sup> December, 2021.

*The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 6<sup>th</sup> December, 2021.*